रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2000/आषाढ़ 1, 1922
No. 341] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2000/ASADHA 1, 1922

INDIAN LIBRARY INDIA

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2000

सा. का. नि. 550(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2000 है ।

(2) इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के उपबंध 1 अगस्त, 1997 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे :

परंतु निगम द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई वर्ग I अधिकारी निगम को लिखित सूचना देता है जिसमें वह इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से अपूर्व और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अपश्चात् किसी तारीख से इन नियमों के उपबंधों से शासित होने का अपना विकल्प अभिव्यक्त करता है, तो निगम आदेश द्वारा ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने की अनुज्ञा दे सकता है । इस प्रकार चयनित तारीख से पूर्व की अवधि के लिए उक्त अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगा ।

(3) ये नियम उन वर्ग I अधिकारियों को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में तारीख 1-8-1997 को पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे :

परंतु यह कि ऐसे अधिकारी, जिनका भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन तारीख 1-8-1997 और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, पुनरीक्षण के कारण बकाया के पात्र नहीं होंगे।

2. उक्त नियमों में,-

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4. वर्ग I अधिकारियों के वेतनमान :

वर्ग I अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित के अनुसार होंगे :

(1)	(i)	क्षेत्रीय प्रबंधक	(क) सामान्य वेतनमान : 19000-550(4)-21200 रु. (ख) चयन वेतनमान 21200-550(2)-23300-600(1)-22900-700(1)-23600
	(ii)	मुख्य इंजीनियर / मुख्य वास्तुविद	
(2)	(i)	उप क्षेत्रीय प्रबंधक / ज्येष्ठ मंडल प्रबंधक	17150-450(3)-18500-500(1)-19000 रु.
	(ii)	उप मुख्य इंजीनियर / उप मुख्य वास्तुविद	
(3)	(i)	मंडल प्रबंधक	14735-360(1)-15095-385(3)-16250-450(2)-17150
	(ii)	अधीक्षण इंजीनियर/ ज्येष्ठ संकर्म सर्वेक्षक/ ज्येष्ठ वास्तुविद	
(4)	(i)	सहायक मंडल प्रबंधक / ज्येष्ठ शाखा प्रबंधक	12215-360(8)-15095-385(3)-16250 रु.
	(ii)	कार्यपालकइंजीनियर/संकर्म सर्वेक्षक/ उप ज्येष्ठ वास्तुविद	
(5)	(i)	प्रशासनिक अधिकारी/शाखा अधिकारी	10055-360(13)-14735 रु.
	(ii)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर/सहायक संकर्म सर्वेक्षक/वास्तुविद	
(6)	(i)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक शाखा प्रबंधक	7535-360(18)-14015 रु.
	(ii)	सहायक इंजीनियर/सहायक वास्तुविद	

टिप्पण — क्रम संख्यांक 1 से 6 के अंतर्गत प्रविष्टि (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के संबंध में पृथक ज्येष्ठता सूची रखी जाएगी ।

(ii) नियम 4(क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4क. वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर मूल वेतन में वृद्धि :

कार्य अभिलेख के समाधानपूर्ण पाए जाने के अधीन रहते हुए,-

(क) सहायक प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में के ऐसे अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पश्चातवर्ती मास के पहले दिन या अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन, जो भी बाद में हो, उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य वृद्धि उसके मूल वेतन में अनुदत्त की जाएगी ।

(ख) ऐसा अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष के लिए उसके वेतनमान में उसके द्वारा ली गए अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी किंतु ऐसी वृद्धियां अधिकतम तीन होंगी :

परंतु कोई अधिकारी, यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वृद्धियां लेने के पश्चात् तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चातवर्ती प्रत्येक मास के पहले दिन से पूर्व मूल वेतन में ऐसी वृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा :

परंतु यह और कि कोई अधिकारी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चातवर्ती मास के प्रथम दिन से पूर्व मूल वेतन में ऐसी तीसरी वृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा :

(ग) सहायक मंडल प्रबंधक के वेतनमान में के किसी अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चातवर्ती मास के प्रथम दिन से या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के प्रथम दिन से, जो भी बाद में हो, अपने वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य वृद्धि वेतन में अनुदत्त की जाएगी ।

परंतु जहां किसी अधिकारी को उसको लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन या मूल वेतन में ऐसी अंतिम वृद्धि से या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन, (यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन या मूल वेतन में ऐसी अंतिम वृद्धि से या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन को, इसमें इसके पश्चात् "सुसंगत तारीख" कहा गया है) मूल वेतन में खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट वृद्धि अनुदत्त नहीं की जाती तो उसका मामला, सुसंगत तारीख से संगणित की जाने वाली सेवा के बारह मास पूर्ण करने के पश्चातवर्ती मास या ऐसे पुनरीक्षण की तारीख से उस प्रत्येक कलेंडर वर्ष में पुनरीक्षण के लिए तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसके मूल वेतन में ऐसी वृद्धि अनुज्ञात न की जाए और तत्पश्चात् यदि ऐसी वृद्धि अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया जाता है तो वह उस कलेंडर वर्ष जिसमें विनिश्चय किया गया है के उस मास की पहली तारीख से प्रभावी होगा जिसमें पुनरीक्षण किया जाना था ।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के प्रयोजनार्थ " कलेंडर वर्ष" से अभिप्रेत है " 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि" ।

(iii) नियम 4(ख) का लोप किया जाएगा ।

(iv) नियम 5 में,--

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) वर्ग I अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा :

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

आधार : 1960 = 100 की श्रृंखला में सूचकांक सं. 1740

दर : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1740 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक 4 प्वाइंट के लिए वर्ग I अधिकारी को " वेतन" के 0.23 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के प्रयोजनार्थ, " वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, जिसमें इन नियमों के नियम 4(क) के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धियां भी सम्मिलित हैं ।

(ख) उपनियम (2) में " 1148 प्वाइंट से ऊपर होने पर 1148-1152-1156-1160", शब्दों और अंकों के स्थान पर " 1740 प्वाइंट से ऊपर होने पर 1740-1744-1748-1732" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(v) नियम 6 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) वर्ग I अधिकारी का, सिवाय उनके जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है, मकान किराया भत्ता निम्नलिखित होगा :

तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दर
i. मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव नगर और नवीं मुम्बई नगर ।	वेतन का 11 प्रतिशत अधिकतम 1200 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
ii. ऊपर (i) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, गोवा राज्य में कोई नगर और गांधी नगर ।	वेतन का 9 प्रतिशत अधिकतम 1000 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
iii. अन्य स्थान	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 950 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजनार्थ,-

i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं ।

iii) वेतन से अभिप्रेत है मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और नियत वैयक्तिक भत्ता ;

(vi) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 7. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

वर्ग I अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्नलिखित होगा :-

तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकरात्मक भत्ते की दर
i. मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नवी मुम्बई नगर ।	वेतन का 4 प्रतिशत न्यूनतम 120 रुपए प्रतिमास और अधिकतम 375 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए ।
ii. ऊपर (i) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, गोवा राज्य में कोई नगर और गांधी नगर ।	वेतन का 3 प्रतिशत न्यूनतम 100 रुपए प्रतिमास और अधिकतम 350 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए।
iii. वे नगर जिनकी आवादी 5 लाख और उससे अधिक है किंतु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियां जिनकी आवादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला नगर ।	वेतन का 2.5 प्रतिशत न्यूनतम 75 रुपए प्रतिमास और अधिकतम 250 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए।

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजनार्थ,-

i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं ।

iii) वेतन से अभिप्रेत है मूल वेतन और नियम 4(क) के अधीन मूल वेतन में वृद्धियां ।

(vii) नियम 7(क) में,-

(क) प्रविष्टि (i) के सामने स्तंभ (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 216 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 3 प्रतिशत की दर से ।"

(ख) प्रविष्टि (ii) और (iii) के सामने स्तंभ (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 180 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 2.5 प्रतिशत की दर से ।"

(viii) नियम 7ख में, अंक और अक्षर " 100 रुपए" के स्थान पर, अंक और अक्षर " 120 रुपए" रखे जाएंगे ;

(ix) नियम 8 में, उपनियम (i) में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(x) नियम 9 में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(xi) नियम 9क और 9ख के स्थान पर, निम्नलिखिच नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"9क. नियत वैयक्तिक भत्ता :

(1) प्रथम नियुक्ति पर परिवीक्षाधीन अधिकारी या ऐसे व्यक्ति जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच गया हो, या जो 1 नवंबर, 1993 को मूल वेतन में नियम 4क में निर्दिष्ट एक या अधिक वृद्धि प्राप्त कर चुका है से भिन्न वर्ग I अधिकारी को 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में, कंप्यूटरीकरण के लिए एक वेतनवृद्धि संदत्त की जाएगी ।

परंतु ऐसे वर्ग I अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 को निगम की सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति पर परिवीक्षा पर था, को पुष्टि के पश्चात् एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर ऐसी एक वेतनवृद्धि संदत्त की जाएगी ।

(2) ऐसे वर्ग I अधिकारी, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम सीमा तक पहुंच गया हो, या जो 1 नवंबर, 1993 को मूल वेतन में, नियम 4क में निर्दिष्ट एक या अधिक वृद्धि प्राप्त कर चुका है को 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में कंप्यूटरीकरण के लिए अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(3) ऐसा वर्ग I अधिकारी, जो कंप्यूटरीकरण के लिए वेतनवृद्धि प्राप्त करता है और जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच गया है, को वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उपनियम (2) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(4) नियत वैयक्तिक भत्ता, मकान किराए भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजनार्थ संगणित किया जाएगा ।

(5) ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने निगम की सेवा तारीख 1-11-1993 के पश्चात् किन्तु अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व आरंभ की है कंप्यूटरीकरण के लिए अतिरिक्त वेतनवृद्धि :

ऐसे वर्ग I अधिकारियों को, जिन्होंने तारीख 1-11-1993 के पश्चात् किंतु इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व निगम की सेवा आरंभ की है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उन्हें लागू वेतनमान में एक वेतनवृद्धि दी जाएगी :

(i) ऐसे अधिकारियों को जो निगम की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को परिवीक्षा पर थे, उनकी पुष्टि की तारीख के पश्चात् 365 दिन की सेवा के पूर्ण होने पर ही उक्त वेतनवृद्धि अनुदत्त की जाएगी ;

(ii) ऐसा वर्ग I अधिकारी को जो उक्त वेतनवृद्धि प्राप्त कर चुका है और उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा जो वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन उसे लागू वेतनमान में उसकी अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य होगा और ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता, मकान किराया भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन के लिए संगणना में लिया जाएगा ।

(iii) ऐसा कोई अधिकारी जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् निगम की सेवा प्रारंभ करता है इस वेतनवृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा ;"

9ख. सवारी भत्ता :

ऐसे अधिकारी से भिन्न प्रत्येक वर्ग, I अधिकारी को जो निगम की किसी स्कीम के अधीन कोई सवारी भत्ता प्राप्त कर रहा है, 150 रुपए प्रतिमास सवारी भत्ता संदत्त किया जाएगा";

(xii) नियम 9ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"9ग. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन :

निगम के वर्ग I अधिकारियों को उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा :-

तारीख 1-8-1997 से 31-3-1999 तक की अवधि के लिए, तारीख 1-8-1997 को उपर्युक्त वर्ग I अधिकारियों के मजदूरी बिल (पुनरीक्षण पूर्व) के 1.67 प्रतिशत का उ. सं. ए. प्रो. के बदले एक समय एकमुश्त संदाय किया जाएगा।

तारीख 1-4-1999 से 31-3-2002 तक की अवधि के लिए परिशिष्ट के अनुसार ।

"9घ. पारादीप पत्तन भत्ता-

पारादीप में कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक वर्ग I अधिकारी को, अधिसूचना की तारीख या पारादीप में सेवारंभ की तारीख, जो भी बाद में हो, के पश्चातवर्ती मास की पहली तारीख से 50 रुपए प्रतिमास " पारादीप पत्तन भत्ता" संदत्त किया जाएगा । यह भत्ता किन्हीं फायदों के लिए पंक्ति में नहीं होगा ।"

(xiii) इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नियम 9ङ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"9ङ. प्रसूति छुट्टी-

सक्षम प्राधिकारी, किसी महिला अधिकारी को एक बार में छह मास तक विस्तारित की जा सकने वाली अवधि के लिए प्रसूति छुट्टी अनुदत्त कर सकेगा किन्तु यह किसी अधिकारी की सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम बारह मास तक होगी ।

परंतु उक्त छुट्टी किसी निःसंतान महिला कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान एक बार एक वर्ष से कम आयु के बालक के विधिक दत्तक ग्रहण के लिए अनुदत्त की जा सकेगी । छुट्टी की अधिकतम अवधि दो मास या जब तक बालक एक वर्ष की आयु का न हो जाए, जो भी पहले हो, होगी ।

परंतु यह और कि उक्त छुट्टी केवल एक बालक के दत्तक ग्रहण के लिए अनुदत्त की जाएगी।

परंतु यह भी कि बालक का दत्तक ग्रहण उचित विधिक प्रक्रिया द्वारा किया गया हो और निगम के समक्ष दत्तक ग्रहण विलेख की अनुप्रमाणित सही प्रति प्रस्तुत की जाए।"

" 9च. रुग्णता छुट्टी-

वर्ग I अधिकारी, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक मास की दर से, चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर रुग्णता छुट्टी का हकदार होगा किंतु यह निगम की संपूर्ण सेवा में अधिकतम सोलह मास तक के अधीन होगी ।

परंतु भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) नियम 1960 के नियम 62 के उपनियम (1) और (2) के अधीन किसी अधिकारी को अनुज्ञेय आकस्मिक छुट्टी और अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी और जिसका उसने उपभोग न किया हो, अधिकतम दो मास तक पूर्ण वेतन पर अतिरिक्त रुग्णता छुट्टी में या उसकी संपूर्ण सेवावधि के दौरान अधिकतम चार मास तक अर्द्ध-वेतन छुट्टी में संपरिवर्तित कर दी जाएगी जो कि उसके द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर उपभोग की जाएगी ।

परंतु यह और कि यदि कोई अधिकारी किसी प्रमुख रोग जैसे कैंसर, कुष्ठ रोग, तपेदिक, पक्षाघात, मानसिक रोग, ब्रेन ट्यूमर, हृदय रोग, एड्स या गुर्दे के रोगों से पीड़ित हो तो उसे, यदि उसके खाते में कोई रुग्णता छुट्टी न हो जिसमें उसे अनुज्ञेय अतिरिक्त रुग्णता छुट्टी भी है, छह मास से अनधिक अवधि के लिए अर्द्ध-वेतन पर विशेष रुग्णता छुट्टी अनुज्ञात की जा सकती है ।"

[फा. सं. 2(14)-बीमा-III/97]

अजीत एम. शरण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 194 (अ) तारीख 11-10-1985 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनका संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 960 (अ), तारीख 7-12-1987, सा.का.नि. 493(अ), तारीख 22-4-1988, सा.का.नि. सं. 872(अ), तारीख 22-8-1988, सा.का.नि. 711(अ), तारीख 25-7-1989, सा.का.नि. 816(अ), तारीख 11-10-1990, सातका.नि. 324(अ), तारीख 10-3-1992, सा.का.नि. 53(अ), तारीख 2-2-1994, सा.का.नि. सं. 597, तारीख 30-6-1995, सा.का.नि. सं. 94(अ), तारीख 16-2-1996, सा.का.नि. सं. 286(अ), तारीख 18-7-1996 और सा.का.नि. सं. 530(अ), तारीख 27-8-1998 और सा.का.नि. 612(अ), तारीख 30-8-1999 द्वारा किया गया ।

परिशिष्ट

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन स्कीम

(नियम 9ग देखिए)

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के अनुदान के लिए शर्तें	1. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का अनुदान निगम के निम्नलिखित क्षेत्रों में समग्र रूप से निष्पादन पर निर्भर करेगा ; (क) नई पालिसियों में वर्धन (ख) प्रथम वर्ष प्रीमियम आय में वर्धन (ग) कुल प्रीमियम आय में वर्धन 2. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष के आधार पर संगणित किया जाएगा और निगम द्वारा उपर्युक्त तीनों प्राचलों में प्राप्त निष्पादन के स्तर पर आधारित होगा । 3. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन केवल तभी संदेय होगा जब निगम की उपलब्धियां प्रारंभिक स्तरों से अधिक हों जो कि निम्नलिखित हैं :- (क) नई पालिसियों में वर्धन 11.76 प्रतिशत (ख) प्रथम वर्ष प्रीमियम आय में वर्धन 21.17 प्रतिशत
	(ग) कुल प्रीमियम आय में वर्धन 17.52 प्रतिशत 4. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन तारीख 1-8-1997 को वर्ग I अधिकारियों के पुनरीक्षण पूर्व मजदूरी बिल के अधिकतम 6 प्रतिशत तक 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, आदि स्तरों पर संदेय होगा जो कि इससे उपाबद्ध सारणी के अनुसार ऊपर वर्णित क्षेत्रों में वर्धन दरों की प्राप्ति पर निर्भर करेगा । 5. मजदूरी बिल की प्रतिशतता के रूप में उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की रकम निगम द्वारा उल्लिखित प्रतिशतताओं के विरुद्ध सभी तीनों क्षेत्रों में प्राप्त वर्धन की दरों पर निर्भर करेगी परंतु कुल प्रीमियम आय की रकम, प्रथम वर्ष प्रीमियम आय और नई पालिसियों की संख्या कुल मिलाकर क्रमशः उन वर्षों के सामने सारणियों में वर्णित कुल प्रीमियम आय की रकम, प्रथम वर्ष प्रीमियम आय और नई पालिसियों की संख्या से कम नहीं होगी । किंतु ऊपर लिखित तीनों क्षेत्रों में से किसी में सीमांत कमी को बोर्ड द्वारा माफ किया जा सकता है । 6. इस प्रयोजन के लिए कुल प्रीमियम आय और प्रथम वर्ष प्रीभियम आय वैयक्तिक बीमा पालिसियों पर प्रीमियम आय जमा जीवन सुरक्षा और जीवन धारा पालिसियों की बाबत प्रीमियम का 10 प्रतिशत जमा बीमा निवेश और जीवन अक्षय पालिसियों की बाबत प्रीमियम का 1.25 प्रतिशत, वैयक्तिक पेंशन योजनाओं की बाबत पूर्ण प्रीमियम पर प्रीमियम आय होगी और इसमें पी. एंड जी. एस. प्रीमियम आय सम्मिलित नहीं होगी । 7. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए तारीख 1-8-2000 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष एकमुश्त वितरित की जाएगी ।

कुल प्रीमियम आय :

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	पूर्व वर्ष की कुल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में वर्धन दर	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित कुल प्रीमियम आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपए में)		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	19.41	24089	28309	33269
2%	20.37	24283	28537	33537
3%	21.33	24476	28765	33804
4%	22.47	24706	29035	34122
5%	23.78	24971	29345	34487
6%	25.44	25305	29739	34949

प्रथम वर्ष प्रीमियम आय :

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	पूर्ववर्ष के प्रथम वर्ष प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में वर्धन दर	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रथम वर्ष प्रीमियम आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपए में)		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	23.45	4925	5967	7219
2%	24.61	4971	6023	7287
3%	25.77	5017	6079	7355
4%	27.15	5072	6146	7435
5%	28.73	5135	6222	7528
6%	30.74	5215	6319	7645

नई पालिसियों की संख्या

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	पूर्व वर्ष में नई पालिसियों की संख्या में प्रतिशत के रूप में वर्धन दर	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित नई पालिसियों की संख्या		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	13.03	16777616	18750664	20955742
2%	13.67	16873266	18857562	21075212
3%	14.32	16968917	18964461	21194682
4%	15.08	17082501	19091403	21336553
5%	15.96	17213024	19237276	21499579
6%	17.08	17378419	19422122	21706163

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है । तदनुसार, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का संशोधन किया जा रहा है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2000

G. S. R. 550(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Class-I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, (hereinafter referred to as "the said rules") namely .—

1 **Short title, commencement and application :** –

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class-I Officers(Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2000.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of these rules shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1997:

Provided that where any Class-I Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules come into force and not later than the date of publication of this notification in the official gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by the said rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so chosen shall be payable to such officer.

(3) These rules shall be applicable to those Class-I Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on 1.8.1997:

Provided that the officers whose resignations had been accepted or whose services had been terminated under Rule 39 of LIC of India (Staff) Rules, 1960 during the period from 1.8.1997 and the date of publication of this notification in the official gazette shall not be eligible for the arrears on account of revision.

2. In the said rules,

(i) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :-

"4. Scales of Pay of Class-I Officers:

The scale of pay of the Class I Officers shall be as under :-

(1)	(i) Zonal Managers (ii) Chief Engineers/ Chief Architects		(a) Ordinary Scale : Rs.19000-550(4)-21200 (b) Selection Scale : Rs.21200-550(2)-22300-600(1)-22900-700(1)-23600
(2)	(i) Deputy Zonal Managers/ Senior Divisional Managers (ii) Deputy Chief Engineers/ Deputy Chief Architects		Rs.17150-450(3)-18500-500(1)-19000
(3)	(i) Divisional Managers (ii) Superintending Engineers/ Senior Surveyors of Works/ Senior Architects		Rs.14735-360(1)–15095-385(3)–16250-450(2)-17150
(4)	(i) Assistant Divisional Managers/ Senior Branch Managers (ii) Executive Engineers/ Surveyors of Works/ Deputy Senior Architects		Rs.12215-360(8)–15095-385(3)-16250
(5)	(i) Administrative Officers/ Branch Managers (ii) Assistant Executive Engineers/ Assistant Surveyors of Works/ Architects		Rs.10055-360(13)-14735

(3) These rules shall be applicable to those Class-I Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on 1.8.1997:

Provided that the officers whose resignations had been accepted or whose services had been terminated during the period from 1.8.1997 and the date of publication of this notification in the official gazette shall not be eligible for the arrears on account of revision.

2. In the said rules,

(i) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :-

"4. Scales of Pay of Class-I Officers:

The scale of pay of the Class I Officers shall be as under :-

(1)	(i) Zonal Managers (ii) Chief Engineers/ Chief Architects	)	(a) Ordinary Scale : Rs.19000-550(4)-21200 (b) Selection Scale : Rs.21200-550(2)-22300-600(1)-22900-700(1)-23600
(2)	(i) Deputy Zonal Managers/ Senior Divisional Managers (ii) Deputy Chief Engineers/ Deputy Chief Architects	)	Rs.17150-450(3)-18500-500(1)-19000
(3)	(i) Divisional Managers (ii) Superintending Engineers/ Senior Surveyors of Works/ Senior Architects	)	Rs.14735-360(1)–15095-385(3)–16250-450(2)-17150
(4)	(i) Assistant Divisional Managers/ Senior Branch Managers (ii) Executive Engineers/ Surveyors of Works/ Deputy Senior Architects	)	Rs.12215-360(8)–15095-385(3)-16250
(5)	(i) Administrative Officers/ Branch Managers (ii) Assistant Executive Engineers/ Assistant Surveyors of Works/	)	Rs.10055-360(13)-14735

		Architects)	
(6)	(i)	Assistant Administrative Officers/)	Rs.7535-360(18)-14015
		Assistant Branch Managers)	
	(ii)	Assistant Engineers/)	
		Assistant Architects)	

Notes : A Separate Seniority List shall be maintained in respect of officers appointed to posts specified in entry (ii) under serial numbers 1 to 6 ";

(ii) for rule 4 A, the following shall be substituted, namely:-

"4A Addition to the Basic Pay after reaching maximum of scale:

Subject to the work record being found satisfactory

(a) an officer in the scale of Assistant Administrative Officer who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay from first day of the month following completion of three years of service after reaching such maximum or the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette, whichever is later.

(b) an Officer in the scale of pay of Administrative Officer who has reached the maximum of the scale, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to the maximum of three such additions:

Provided that no officer shall be entitled to such addition to the basic pay before the first day of the month following completion of three years after reaching maximum of the scale of pay or after drawing such additions, as the case may be:

Provided further that no officer shall be entitled to the third such addition to the basic pay before the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette :

(c) an officer in the scale of Assistant Divisional Manager who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him may be granted an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay from first day of the month following completion of three years of service after reaching such maximum or the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette, whichever is later:

Provided that where an Officer is not granted such addition to the basic pay referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) on first day of the month following completion of three years of service from the date of reaching maximum of the scale of pay applicable to him or from the last such addition to the basic pay or from the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette (such first day of the month following completion of three years of service from the date of reaching maximum of scale of pay or the last such addition to the basic pay or the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette being hereinafter referred to as "the relevant date", as the case may be), his case shall fall due for review in each calendar year in the month following that in which he completes twelve months of service as reckoned from the relevant date, or from the date of such review, so long as he has not been allowed such addition to the basic pay, and if it is decided to allow such addition subsequently, it shall take effect from the first of the month in which the review has fallen due in the calendar year in which the decision is taken.

Explanation : For the pueposes of this rule 'calender year' means the period from 1st day of January to 31st day of December";

iii) rule 4B shall be omitted;

iv) in rule 5,

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The scale of dearness allowance of Class-I Officers shall be determined as under:

Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

Base : Index No.1740 in the series 1960=100.

Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 1740 points, a Class-I Officer shall be paid dearness allowance at the rate of 0.23% of Pay.

Explanation : For the purposes of this rule, "Pay" means basic pay including additions to the basic pay after reaching maximum of the scale as provided under rule 4A of these rules";

(b) in sub-rule(2), for the figures and words "1148 points in the sequence 1148-1152-1156-1160", the figures and words "1740 points in the sequence of 1740-1744-1748-1752 " shall be substituted ;

(v) in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The House Rent Allowance of Class-I Officers except those who are allotted residential accommodation by the Corporation shall be as under:

Place of posting	Rate of House Rent Allowance
i. Cities of Mumbai, Calcutta, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	11% of Pay, subject to the maximum of Rs.1200/- per month
ii. Cities with population exceeding 12 lakhs, except those mentioned at (i) ,Gandhinagar and any city in the State of Goa	9% of Pay,subject to the maximum of Rs. 1000/- per month.
iii. Other places.	8% of Pay subject to the maximum of Rs. 950/- per month

Notes : for the purpose of this rule,

i) the population figures shall be as per the latest Census Report,

ii) cities shall include their urban agglomerations.

iii) 'pay' means basic pay, additions to basic pay and Fixed Personal Allowance";

(vi) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. City Compensatory Allowance:

The City Compensatory Allowance payable to Class-I Officers shall be as under:-

Place of posting	Rate of CCA
i. Cities of Mumbai, Calcutta, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	4% of Pay, subject to the minimum of Rs.120/- p.m. and maximum of Rs. 375/- p.m.
ii. Cities with population exceeding 12 lakhs, except those mentioned at (i), Gandhinagar and any city in the State of Goa .	3% of Pay, subject to the minimum of Rs. 100/- p.m. and maximum of Rs.350/- p.m.
iii. Cities with population of 5 lakhs and above but not exceeding 12 lakhs, State Capitals with population not exceeding 12 lakhs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair, and Panchkula.	2.5% of Pay, subject to the minimum of Rs. 75/- and maximum of Rs. 250/- p.m.

Notes : for the purposes of this rule,

i) the population figures shall be as per the latest Census Report,

ii) cities shall include their urban agglomerations.

iii) "pay" means basic pay plus additions to basic pay under rule 4A";

(vii) in rule 7A ,

(a) against entry (i), for column 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"at the rate of 3% of basic pay subject to the maximum of Rs. 216/- p.m.";

(b) against entries (ii) and (iii), for column 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

"at the rate of 2.5 % of basic pay, subject to the maximum of Rs 180/- p.m.";

(viii) in rule 7B, for the letters and figure "Rs100/-," the letters and figure "Rs 120/-," shall be substituted;

(ix) in rule 8, in sub-rule(1), the Explanation shall be omitted;

(x) in rule 9, the Explanation shall be omitted ;

(xi) for rules 9a and 9b , the following rules shall be substituted,namely:-

"9A : Fixed Personal Allowance

(1) A Class I Officer other than an Officer on probation on first appointment or who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him or who has been in receipt of one or more addition to the basic pay referred to in rule 4A on the first day of November,1993 shall be paid on account of computerisation one increment in the scale of pay applicable to him on the first day of November, 1993:

Provided that a Class I officer who on his first appointment in the Corporation's service was on probation on the 1st November, 1993 shall be paid one such increment on completion of one year of service after confirmation.

(2) A Class-I Officer who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him or who has been in receipt of one or more additions to the basic pay referred to in rule 4A on the first day of November, 1993, shall be paid, a fixed personal allowance on account of computerisation equal to the last increment in the scale of pay applicable to him on the first day of November 1993.

(3) A Class-I Officer who is in receipt of an increment on account of computerisation and who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him shall be paid the fixed personal allowance referred to in sub-rule (2) on the expiry of a period of one year after reaching the maximum of scale of pay.

(4) Fixed Personal Allowance shall count for the purposes of House Rent Allowance, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Privilege leave.

(5) Additional Increment for Computerisation for Officers who have joined the services of the Corporation after 1.11.1993 but before the date of the notification:

The Class-I Officers who have joined the services of the Corporation after 1.11.1993 but before the date of publication of this notification shall be granted one increment in the scale of pay applicable to them on the date of publication of this notification, with effect from the first day of the month following the date of publication of this notification, subject to the following conditions:

(i) Such of those officers who on their first appointment in the Corporation's service were on probation on the date of publication of this notification shall be granted the said increment only on completion of 365 days of service after the date of confirmation;

(ii) A Class-I officer who is in receipt of the said increment and who reaches maximum of the scale of pay applicable to him shall be paid the Fixed Personal Allowance, which shall be equal to the last increment in the scale of pay applicable to him on the first day of the month following the date of publication of this notification, on

the expiry of a period of one year after reaching the maximum of the scale of pay, and such Fixed Personal Allowance shall count for the purposes of House Rent Allowance, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Privilege Leave.

iii) Any officer who joins the services of the Corporation after the date of publication of this notification shall not be eligible for this increment;

9B: Conveyance Allowance:

Every Class I Officer, other than an Officer who is in receipt of any Conveyance Allowance under any of the Schemes of the Corporation shall be paid conveyance allowance of Rs.150/- per month.

(xii) after rule 9(B), the following rules shall be inserted, namely:-

"9(C) Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI):

The Class-I Officers of the Corporation shall be paid Productivity Linked Lumpsum Incentive as under :

For the period from 1.8.1997 to 31.3.1999, the above said Class I Officer shall be paid one time lumpsum payment of 1.67% of the wage bill of Class I Officers as on 1.8.1997 (pre-revised), in lieu of PLLI.

For the period from 1.4.1999 to 31.3.2002, shall be as per Appendix.

"9(D) Paradeep Port Allowance -

Every Class-I officer working in office(s) at Paradeep shall be paid "Paradeep Port Allowance" of Rs.50/- per month with effect from the

first of the month following the date of notification or the date of joining at Paradeep, whichever is later. This allowance shall not rank for any benefits";

(xiii) after rule 9E, the following rules shall be inserted with effect from the date of publication of this notification in the official gazette, namely :

"9E. Maternity Leave-

The competent authority may grant to a female officer maternity leave for a period which may extend upto 6 months at a stretch subject to a maximum of 12 months during the entire period of an officer's service:

Provided that leave may be granted once during the service to a childless female employee for legally adopting a child who is below one year of age. The maximum period of leave will be two months or till the child reaches the age of one year, whichever is earlier:

Provided further that leave will be granted for adoption of only one child:

Provided also that the adoption of a child is through a proper legal process and on submission of a certified true copy of adoption deed to the Corporation.

9F. Sick Leave -

A Class-I Officer shall be entitled to sick leave on medical certificate at the rate of one month for each completed year of service subject to a maximum of sixteen months throughout the service in the Corporation:

Provided that the casual leave and the additional casual leave admissible to an officer under sub-rules (1) and (2) of rule 62 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 and not availed of by him shall

be converted into additional sick leave on full pay upto a maximum of two months or on half pay upto a maximum of four months during the entire period of his service to be availed of by him on medical certificate:

Provided further that if an officer is suffering from any of the major diseases of cancer, leprosy, T.B., paralysis, mental diseases, brain tumor, cardiac ailments, AIDs or kidney diseases he may be allowed special sick leave on half pay for a period not exceeding six months if he has to his credit no sick leave including additional sick leave admissible to him".

[F. No 2(14)-Ins III/97]
AJIT M SHARAN, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide G.S.R.No.794(E) dated 11.10.1985 and subsequently amended vide G.S.R.No.960(E) dated 7.12.1987, G.S.R.No.493(E) dated 22.4.1988, G.S.R.No.872(E) dated 22.8.1988, G.S.R.No.711(E) dated 25.7.1989, G.S.R.No.816(E) dated 11.10.1990, G.S.R.No.324(E) dated 10.3.1992, G.S.R.No.53(E) dated 2.2.1994, G.S.R.No.597(E) dated 30.6.1995, G.S.R.No.94(E) dated 16.2.1996, G.S.R.No.286(E) dated 18.7.1996, G.S.R.No.530(E) dated 27.08.1998 and G.S.R.No.612(E) dated 30.08.1999.

Appendix

PRODUCTIVITY LINKED LUMP SUM INCENTIVE SCHEME (PLLI)
(See Rule 9C)

Conditions for grant of PLLI	1. Grant of PLLI shall depend upon performance of the corporation as a whole in the following areas a) Growth in New Policies b) Growth in First Year Premium Income c) Growth in Total Premium Income 2. PLLI will be calculated on financial year basis and will depend upon the level of performance achieved by the corporation on all the above three parameters. 3. The PLLI will be payable only if the achievements of the corporation are higher than the THRESHOLD LEVELS which are as under: a) Growth in New Policies 11.76% b) Growth in First Year Premium Income 21.17% c) Growth in Total Premium Income 17.52%

	4. PLLI shall be payable at the levels of 1%, 2%, 3%, etc. upto a maximum of 6% of the pre-revised wage bill of Class-I Officers as on 1/8/1997 depending upon the achievements of growth rates in the above mentioned areas as per the table appended hereto. 5. The amount of PLLI in terms of percentage of wage bill will depend upon the growth rates achieved by the Corporation in all the three areas against the percentages mentioned provided, however, the amount of Total Premium Income, First Year Premium Income and Number of New Policies is not less than the amount of Total Premium Income, First Year Premium Income and Number of New Policies mentioned in the tables against respective years. However, a marginal shortfall in any of the three areas noted above may be condoned by the Board. 6. The Total Premium Income and First Year Premium Income for the purpose shall be the premium income on individual assurance policies plus 10% of premium in respect of Jeevan Suraksha and Jeevan Dhara Policies plus 1.25% of premium in respect of Bima Nivesh and Jeevan Akshay Policies, full premium in respect of individual pension plans and shall exclude P&GS Premium Income. 7. The PLLI will be distributed in one lumpsum annually on or after 1st August each year commencing from 1/8/2000 for the financial years 1999-2000, 2000-2001 and 2001-2002.

TOTAL PREMIUM INCOME:

PLLI IN TERMS OF % OF WAGE BILL	GROWTH RATE AS % OF TPI OF PREVIOUS YEAR	MINIMUM AMOUNT OF TPI REQUIRED TO BE ACHIEVED (Rs. in Crores)		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	19.41	24089	28309	33269
2%	20.37	24283	28537	33537
3%	21.33	24476	28765	33804
4%	22.47	24706	29035	34122
5%	23.78	24971	29345	34487
6%	25.44	25305	29739	34949

FIRST YEAR PREMIUM INCOME:

PLLI IN TERMS OF % OF WAGE BILL	GROWTH RATE AS % OF FYPI OF PREVIOUS YEAR	MINIMUM AMOUNT OF FYPI REQUIRED TO BE ACHIEVED (Rs. in Crores)		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	23.45	4925	5967	7219
2%	24.61	4971	6023	7287
3%	25.77	5017	6079	7355
4%	27.15	5072	6146	7435
5%	28.73	5135	6222	7528
6%	30.74	5215	6319	7645

NO. OF NEW POLICIES:

PLLI IN TERMS OF % OF WAGE BILL	GROWTH RATE AS % OF NO. OF NEW POLICIES OF PREVIOUS YEAR	MINIMUM NO. OF NEW POLICIES REQUIRED TO BE ACHIEVED		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	13.03	16777616	18750664	20955742
2%	13.67	16873266	18857562	21075212
3%	14.32	16968917	18964461	21194682
4%	15.08	17082501	19091403	21336553
5%	15.96	17213024	19237276	21499579
6%	17.08	17378419	19422122	21706163

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Class-I Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the notification. The Life Insurance Corporation of India Class-I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2000

सा. का. नि. 551(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबधनों और शर्तो का पुनरीक्षण) सशोधन नियम, 2000 है ।

(2) इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के उपबध 1 अगस्त, 1997 को प्रवृत्त हुए समझे जाएगे :

परंतु निगम द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई विकास अधिकारी निगम को लिखित सूचना देता है जिसमे वह इन नियमो के प्रवृत्त होने की तारीख से अपूर्व और इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से अपश्चात् किसी तारीख से इन नियमों के उपबंधों से शासित होने का अपना विकल्प अभिव्यक्त करता है, तो निगम आदेश द्वारा ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमो द्वारा शासित होने की अनुज्ञा दे सकता है । इस प्रकार चयनित तारीख से पूर्व की अवधि के लिए उक्त अधिकारी को कोई बकाया सदेय नही होगा ।

(3) ये नियम उन विकास अधिकारियों को लागू होगे जो निगम के स्थायी स्थापन मे तारीख 1-8-1997 को पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे :

परंतु यह कि ऐसे विकास अधिकारी, जिनका भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन तारीख 1-8-1997 और अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, पुनरीक्षण के कारण बकाया के पात्र नहीं होंगे।

2. उक्त नियमों में,-

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4 वेतनमान :

विकास अधिकारियो के वेतनमान निम्नलिखित के अनुसार होगे :

(1) 4950-280(2)-5510-335(2)-6180-360(17)-12300 रुपए ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विकास अधिकारी का वेतन और अनुज्ञेय अन्य भत्ते कर्मचारिवृन्द नियमो और विशेष नियमों के अनुसार विनियमित होगे ।

(3) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर मूल वेतन मे वृद्धि :

कार्य अभिलेख के समाधानपूर्ण पाए जाने के अधीन रहते हुए, ऐसे विकास अधिकारी को जो वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुचने के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पश्चातवर्ती मास के पहले दिन या अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख के पश्चात् उसके मूल्याकन वर्ष के पूर्ण होने के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन, जो भी बाद में हो, उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य-वृद्धि उसके मूल वेतन मे अनुदत्त की जाएगी किंतु ऐसी वृद्धियां अधिकतम दो होगी :

परंतु यह कि कोई विकास अधिकारी, पहली वृद्धि पाने के पश्चात् तीन वर्ष पूर्ण होने से पूर्व मूल वेतन मे ऐसी दूसरी वृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि जहां किसी विकास अधिकारी को उसको लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन या अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती उसके मूल्यांकन वर्ष के पूर्ण होने के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन, जो भी बाद मे हो, (वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती उसके मूल्यांकन वर्ष के पूर्ण होने के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन को, जिसे इसमें इसके पश्चात् "सुसंगत तारीख" कहा गया है) मूल वेतन में ऐसी वृद्धि अनुदत्त नहीं की जाती तो उसका मामला, सुसंगत तारीख से संगणित की जाने वाली सेवा के बारह मास पूर्ण करने के पश्चातवर्ती मास में उस प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष में पुनरीक्षण के लिए तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसके मूल वेतन मे ऐसी वृद्धि अनुज्ञात न की जाए और तत्पश्चात् यदि ऐसी वृद्धि अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया जाता है तो वह उस मास की पहली तारीख से प्रभावी होगा जिसमे उस मूल्यांकन वर्ष जिसमें विनिश्चय किया गया है मे पुनरीक्षण किया जाना था ।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ "कलेडर वर्ष" से अभिप्रेत है "1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि" ।

(ii) नियम 4(क) और 4(ख) का लोप किया जाएगा ।

(iii) नियम 5 में,--

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) विकास अधिकारियों को लागू महगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा :

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

आधार : 1960 = 100 की श्रृंखला में सूचकांक सं. 1740

दर : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1740 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत मे प्रत्येक 4 प्वाइंट के लिए विकास अधिकारी को " वेतन" के 0.23 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के प्रयोजनार्थ, " वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, जिसमें इन नियमों के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धियां भी सम्मिलित हैं ।

(ख) उपनियम (2) में " 1148 प्वाइंट से ऊपर होने पर 1148-1152-1156-1160", शब्दों और अंको के स्थान पर " 1740 प्वाइंट से ऊपर होने पर 1740-1744-1748-1732" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) नियम 6 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) विकास अधिकारी का, सिवाय उनके जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है, मकान किराया भत्ता निम्नलिखित होगा :

तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दर
i. मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नवीं मुम्बई नगर ।	वेतन का 11 प्रतिशत अधिकतम 1200 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
ii. ऊपर (i) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, गोवा राज्य मे कोई नगर और गांधी नगर ।	वेतन का 9 प्रतिशत अधिकतम 1000 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
iii. अन्य स्थान	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 950 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजनार्थ,-

i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं ।

iii) वेतन से अभिप्रेत है मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और नियत वैयक्तिक भत्ता ।

(v) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 7. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकरात्मक भत्ते की दर
i. मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नवी मुम्बई ।	वेतन का 4 प्रतिशत अधिकतम 300 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए न्यूनतम 120 रुपए प्रतिमास ।
ii. ऊपर (i) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, गोवा राज्य में कोई नगर और गांधी नगर ।	वेतन का 3 प्रतिशत अधिकतम 270 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए न्यूनतम 100 रुपए प्रतिमास ।
iii. वे नगर जिनकी आवादी 5 लाख और उससे अधिक है किंतु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियां जिनकी आवादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला नगर ।	वेतन का 2.5 प्रतिशत अधिकतम 225 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए न्यूनतम 75 रुपए प्रतिमास ।

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजनार्थ,-

i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं ।

iii) वेतन से अभिप्रेत है मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां ।

(vi) नियम 7(क) में,-

(क) प्रविष्टि (i) के सामने स्तंभ (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"180 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 3 प्रतिशत की दर से ।"

(ख) प्रविष्टि (ii) और (iii) के सामने स्तंभ (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 150 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 2.5 प्रतिशत की दर से ।"

(vii) नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"10. साम्यापूर्ण अनुतोष :

(1) नियम 1 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम, विकास अधिकारियों की बाबत अनुदेशों द्वारा तारीख 1-4-2000 से पूर्व की अवधि के लिए साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में निम्नलिखित रीति से वेतन का बकाया अनुदत्त करेगा :-

विशेष नियमों के अधीन मूल्यांकन वर्ष के प्रयोजनार्थ वार्षिक पारिश्रमिक पर पहुंचने के लिए तारीख 1-8-1997 से 31-3-1998, तारीख 1-4-1998 से 31-3-1999 और तारीख 1-4-1999 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए संदत्त किए जाने वाला साम्यापूर्ण अनुतोष निम्नलिखित होगा :-

(i) तारीख 1-8-1997 से 31-3-1998 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 50 प्रतिशत, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के तुरंत पश्चात् प्रारंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष के वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा और संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 50 प्रतिशत वार्षिक पारिश्रमिक पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ गणना में नहीं लिया जाएगा, और

(ii) तारीख 1-4-1998 से 31-3-1999 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 50 प्रतिशत, प्रथम वर्णित बारह मास की अवधि के पश्चातवर्ती बारह मास की अवधि के मूल्यांकन के लिए वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा और संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 50 प्रतिशत वार्षिक पारिश्रमिक पर पहुंचने के लिए गणना मे नहीं लिया जाएगा, और

(iii) तारीख 1-4-1999 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 50 प्रतिशत, दूसरी वर्णित बारह मास की अवधि के पश्चातवर्ती बारह मास के मूल्यांकन वर्ष के लिए वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा और संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 50 प्रतिशत वार्षिक पारिश्रमिक पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ गणना में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—

(1) संदेहों के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष की बाबत संबलम उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत मूल्यांकन वर्षों में वार्षिक पारिश्रमिक के भाग होंगे ।

(2) निगम, कर्मचारिवृन्द नियम, 1960 के नियम 51 के उपनियम (2) के अधीन इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा उन व्यक्तियों के लिए जो 1 अगस्त, 1997 को या उसके पश्चात् किंतु इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पूर्व विकास अधिकारियों के रूप में काम कर चुके हैं इन नियमों द्वारा यथा पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा, उन्हे विकास अधिकारियों के रूप में उनकी सेवाओ के समाप्त हो जाने की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगा और यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि क्या विकास

अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी सेवा की अवधि के लिए कोई संदाय साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में किया जा सकता है या नहीं और यदि किया जा सकता है तो उसकी रकम कितनी और उसके निबंधन और शर्तें क्या होगी :

परंतु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की बाबत, जिनकी सेवाएं विशेष नियमों के अधीन समाप्त की गई हैं, साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में कोई संदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3) इस नियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां मूल वेतन ऐसे नियम के अनुसार नियत किया जाता है, वहां इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित अन्य भत्ते और फायदे भी ऐसे नियतन के आधार पर देय होंगे ।

(vii) नियम 10(क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"10क. नियत वैयक्तिक भत्ता :

"(1) प्रथम नियुक्ति पर परिवीक्षाधीन विकास अधिकारी या ऐसे व्यक्ति जो 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच गया हो, से भिन्न विकास अधिकारी को 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में, कंप्यूटरीकरण के लिए एक वेतनवृद्धि संदत्त की जाएगी ।

परंतु ऐसे विकास अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 को निगम की सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति पर परिवीक्षा पर था, को पुष्टि के पश्चात् एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर ऐसी वेतनवृद्धि संदत्त की जाएगी ।

(2) ऐसे विकास अधिकारी, जो 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान के अधिकतम सीमा तक पहुच गया हो, को 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर कंप्यूटरीकरण के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(3) ऐसा विकास अधिकारी, जो कंप्यूटरीकरण के लिए वेतनवृद्धि प्राप्त करता है और जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम सीमा तक पहुंच गया है, को वेतनमान के अधिकतम सीमा तक पहुंचने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उपनियम (2) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(4) उपर्युक्त उपनियम (2) के अनुसार अनुदत्त नियत वैयक्तिक भत्ता, मकान किराए भत्ते, भविष्य निधि, पेशन, उपदान और विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजनार्थ संगणित किया जाएगा ।

(5) ऐसे विकास अधिकारियों को जिन्होंने निगम की सेवा तारीख 1-11-1993 के पश्चात् किन्तु अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व आरंभ की है कंप्यूटरीकरण के लिए अतिरिक्त वेतनवृद्धि :

ऐसे विकास अधिकारियों को जिन्होंने तारीख 1-11-1993 के पश्चात् किंतु इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व निगम की सेवा आरंभ की है अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उन्हें लागू वेतनमान में एक वेतनवृद्धि दी जाएगी :

(i) ऐसे विकास अधिकारियों को जो निगम की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को परिवीक्षा पर थे, उनकी पुष्टि की तारीख के पश्चात् 365 दिन की सेवा के पूर्ण होने पर ही उक्त वेतनवृद्धि अनुदत्त की जाएगी ;

(ii) ऐसा विकास अधिकारी को जो उक्त वेतनवृद्धि प्राप्त कर चुका है और उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा जो वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन उसे लागू वेतनमान में उसकी अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य होगा और ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता, मकान किराया भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन के लिए संगणना में लिया जाएगा ।

(iii) ऐसा विकास अधिकारी जो अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चात् निगम की सेवा प्रारंभ करता है इस वेतनवृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा ;"

" 10(ख) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन :

निगम के विकास अधिकारियों को उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन निम्नलिखित रूप में सदत्त किया जाएगा :-

तारीख 1-8-1997 से 31-3-1999 तक की अवधि के लिए, तारीख 1-8-1997 को उपर्युक्त विकास अधिकारियों के मजदूरी बिल (पुनरीक्षण पूर्व) के 1.67 प्रतिशत का उ. सं. ए. प्रो. के बदले एक समय एकमुश्त संदाय किया जाएगा।

तारीख 1-4-1999 से 31-3-2002 तक की अवधि के लिए परिशिष्ट के अनुसार :

टिप्पण : शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अधीन विकास अधिकारी को संदत्त रकम विशेष नियमों के अधीन उसके वार्षिक पारिश्रमिक / तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगी ।

"10(ग) पारादीप पत्तन भत्ता-

पारादीप में कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक विकास अधिकारी को अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख या पारादीप मे सेवारंभ की तारीख, जो भी बाद में हो, के पश्चातवर्ती मास की पहली तारीख से 50 रुपए प्रतिमास " पारादीप पत्तन भत्ता" संदत्त किया जाएगा । यह भत्ता किन्हीं फायदों के लिए पंक्ति में नहीं होगा किंतु विशेष नियमों के अधीन तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक और वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा ।"

(viii) इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से नियम 9(ग) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"10(घ) प्रसूति छुट्टी-

सक्षम प्राधिकारी, किसी महिला अधिकारी को एक बार में छह मास तक विस्तारित की जा सकने वाली अवधि के लिए प्रसूति छुट्टी अनुदत्त कर सकेगा किन्तु यह किसी विकास अधिकारी की सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम बारह मास तक होगी ।

परंतु उक्त छुट्टी किसी निःसंतान महिला कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान एक बार एक वर्ष से कम आयु के बालक के विधिक दत्तक ग्रहण के लिए अनुदत्त की जा सकेगी । छुट्टी की अधिकतम अवधि दो मास या जब तक बालक एक वर्ष की आयु का न हो जाए, जो भी पहले हो, होगी ।

परंतु यह और कि उक्त छुट्टी केवल एक बालक के दत्तक ग्रहण के लिए अनुदत्त की जाएगी।

परंतु यह भी कि बालक का दत्तक ग्रहण उचित विधिक प्रक्रिया द्वारा किया गया हो और निगम के समक्ष दत्तक ग्रहण विलेख की अनुप्रमाणित सही प्रति प्रस्तुत की जाए।"

" 10(ङ) रुग्णता छुट्टी-

विकास अधिकारी, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक मास की दर से, चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर रुग्णता छुट्टी का हकदार होगा किंतु यह निगम की संपूर्ण सेवा में अधिकतम सोलह मास तक के अधीन होगी ।

परंतु भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) नियम 1960 के नियम 62 के उपनियम (1) और (2) के अधीन विकास अधिकारी को अनुज्ञेय आकस्मिक छुट्टी और अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी और जिसका उसने उपभोग न किया हो, अधिकतम दो मास तक पूर्ण वेतन पर अतिरिक्त रुग्णता छुट्टी में या उसकी संपूर्ण सेवावधि के दौरान अधिकतम चार मास तक अर्द्ध-वेतन छुट्टी में संपरिवर्तित कर दी जाएगी जो कि उसके द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर उपभोग की जाएगी ।

परंतु यह और कि यदि विकास अधिकारी किसी प्रमुख रोग जैसे कैंसर, कुष्ठ रोग, तपेदिक, पक्षाघात, मानसिक रोग, ब्रेन ट्यूमर, हृदय रोग, एड्स या गुर्दे के रोगों से पीड़ित हो तो उसे, यदि उसके खाते मे कोई रुग्णता छुट्टी न हो जिसमें उसे अनुज्ञेय अतिरिक्त रुग्णता छुट्टी भी है, छह मास से अनधिक अवधि के लिए अर्द्ध-वेतन पर विशेष रुग्णता छुट्टी अनुज्ञात की जा सकती है ।"

[फा. सं. 2(14)-बीमा-III/97 (i)]

अजीत एम. शरण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1091 (अ) तारीख 17-9-1986 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनका संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 962 (अ), तारीख 7-12-1987, सा.का.नि. सं. 871(अ), तारीख 22-8-1988, सा.का.नि. सं. 968(अ), तारीख 7-11-1989, सा.का.नि. सं. 825(अ), तारीख 9-10-1990, सा.का.नि. सं. 55(अ), तारीख 21-1-1992, सा.का.नि. सं. 325(अ), तारीख 10-3-1992, सा.का.नि. सं. 54(अ), तारीख 2-2-1994, सा.का.नि. सं. 596, तारीख 30-6-1995, सा.का.नि. सं. 95(अ), तारीख 16-2-1996, सा.का.नि. सं. 287(अ), तारीख 18-7-1996 और सा.का.नि. सं. 531(अ), तारीख 27-8-1998 द्वारा किया गया ।

परिशिष्ट

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन स्कीम

(नियम 10ख देखिए)

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के अनुदान के लिए शर्तें	1. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का अनुदान निगम के निम्नलिखित क्षेत्रों मे समग्र रूप से निष्पादन पर निर्भर करेगा ; (क) नई पालिसियों में वर्धन (ख) प्रथम वर्ष प्रीमियम आय में वर्धन (ग) कुल प्रीमियम आय में वर्धन 2. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष के आधार पर संगणित किया जाएगा और निगम द्वारा उपर्युक्त तीनों प्राचलों में प्राप्त निष्पादन के स्तर पर आधारित होगा । 3. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन केवल तभी संदेय होगा जब निगम की उपलब्धिया प्रारंभिक स्तरों से अधिक हों जो कि निम्नलिखित हैं :- (क) नई पालिसियों मे वर्धन 11.76 प्रतिशत (ख) प्रथम वर्ष प्रीमियम आय में वर्धन 21.17 प्रतिशत (ग) कुल प्रीमियम आय में वर्धन 17.52 प्रतिशत 4. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन तारीख 1-8-1997 को विकास अधिकारियों के पुनरीक्षण पूर्व मजदूरी बिल के अधिकतम 6 प्रतिशत तक 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, आदि स्तरो पर संदेय होगा जो कि इससे उपाबद्ध सारणी के अनुसार ऊपर वर्णित क्षेत्रो मे वर्धन दरो की प्राप्ति पर निर्भर करेगा । 5. इस प्रयोजन के लिए कुल प्रीमियम आय और प्रथम वर्ष प्रीमियम आय वैयक्तिक बीमा पालिसियो पर प्रीमियम आय जमा जीवन सुरक्षा और जीवन धारा पालिसियों की बाबत प्रीमियम का 10 प्रतिशत जमा बीमा निवेश और जीवन अक्षय पालिसियों की बाबत प्रीमियम का 1.25 प्रतिशत, वैयक्तिक पेंशन योजनाओं की बाबत पूर्ण प्रीमियम पर प्रीमियम आय होगी और इसमे पी. एंड जी. एस. प्रीमियम आय सम्मिलित नहीं होगी । किंतु ऊपर लिखित तीनों क्षेत्रों मे से किसी में सीमांत कमी को बोर्ड द्वारा माफ किया जा सकता है । 6. मजदूरी बिल की प्रतिशतता के रूप मे उत्पादकता सबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की रकम निगम द्वारा उल्लिखित प्रतिशतताओं के विरुद्ध सभी तीनों क्षेत्रों में प्राप्त वर्धन की दरो पर निर्भर करेगी परतु कुल प्रीमियम आय की रकम प्रथम वर्ष प्रीमियम आय और नई पालिसियों की सख्या कुल मिलाकर क्रमशः उन वर्षो के सामने सारणियों में वर्णित कुल प्रीमियम आय की रकम, प्रथम वर्ष प्रीमियम आय और नई पालिसियों की संख्या से कम नहीं होगी । 7. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए तारीख 1-8-2000 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष एकमुश्त वितरित की जाएगी ।

कुल प्रीमियम आय

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	पूर्व [illegible] की कुल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में वर्धन दर	प्राप्त किए जाने [illegible] लिए अपेक्षित कुल प्रीमियम आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपए मे)		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	19.41	24089	28309	33269
2%	20.37	24283	28537	33537
3%	21.33	24476	28765	33804
4%	22.47	24706	29035	34122
5%	23.78	24971	29345	34487
6%	25.44	25305	29739	34949

प्रथम वर्ष प्रीमियम आय :

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता सबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	पूर्ववर्ष के प्रथम वर्ष प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में वर्धन दर	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रथम वर्ष प्रीमियम आय की न्यूनतम रकम (करोड रुपए मे)		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	23.45	4925	5967	7219
2%	24.61	4971	6023	7287
3%	25.77	5017	6079	7355
4%	27.15	5072	6146	7435
5%	28.73	5135	6222	7528
6%	30.74	5215	6319	7645

नई पालिसियों की संख्या

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	पूर्व वर्ष के प्रथम वर्ष मे नई पालिसियो की संख्या में प्रतिशत के रूप में वर्धन दर	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित नई पालिसियों की संख्या		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	13.03	16777616	18750664	20955742
2%	13.67	16873266	18857562	21075212
3%	14.32	16968917	18964461	21194682
4%	15.08	17082501	19091403	21336553
5%	15.96	17213024	19237276	21499579
6%	17.08	17378419	19422122	21706163

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है । तदनुसार, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का संशोधन किया जा रहा है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2000

G. S. R. 551(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, (hereinafter referred to as "the said rules") namely :—

1. **Short title, commencement and application :**

1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers(Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2000.

2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of these rules shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1997:

Provided that where any Development Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules come into force and not later than the date of publication of this notification in the official gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by the said rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so chosen shall be payable to such officer.

3) These rules shall be applicable to those Development Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on 1.8.1997:

Provided that the Development Officers whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under Rule 39 of LIC of India (Staff) Rules,

1960 during the period from 1.8.1997 and the date of publication of this notification in the official gazette, shall not be eligible for the arrears on account of revision.

2. In the said rules, -

(i) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:

"4. Scales of Pay :

The scales of pay of the Development Officers shall be as under :

(1) Rs.4950 - 280(2) – 5510 – 335(2) – 6180 – 360(17) – 12300.

(2) The pay referred to in sub-rule (1) and other allowances admissible to a Development Officer under these rules shall be regulated in accordance with the Staff Rules and the Special Rules.

(3) Addition to the Basic Pay after reaching maximum of the scales:

Subject to the work record being found satisfactory a Development Officer; who has reached the maximum of the scale of pay, may be granted an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him, on first day of the month following completion of three years of service after reaching such a maximum or on the first day of the month following the completion of his appraisal year following the date of publication of this notification in the official gazette, whichever is later, subject to the maximum of two such additions:

Provided that no Development Officer shall be entitled to the second such addition to the basic pay before completion of three years after drawing the first such addition.

Provided further that where a Development Officer is not granted such addition to the basic pay on first day of the month following completion of three years of service from the date of reaching maximum of the scale of pay applicable to him or from the first day of the month following the completion of his appraisal year subsequent to the date of publication of this notification in the official gazette,

whichever is later (such first day of the month following completion of three years of service from the date of reaching maximum of the scale of pay or first day of the month following the completion of his appraisal year subsequent to the date of publication of this notification in the official gazette being hereinafter referred to as "the relevant date"), his case shall fall due for review in each appraisal year in the month following that in which he completes twelve months of service as reckoned from the relevant date, so long as he has not been allowed such addition to the basic pay, and if it is decided to allow the such addition subsequently, it shall take effect from the first of the month in which the review has fallen due in the appraisal year in which the decision is taken.

Explanation: For the purposes of this rule 'calendar year' means the period from 1st day of January to 31st day of December";

(ii) rules 4A and 4B shall be omitted;

(iii) in rule 5, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The scale of dearness allowance applicable to Development Officers shall be determined as under:

Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

Base : Index No.1740 in the series 1960=100.

Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 1740 points, a Development Officer shall be paid dearness allowance at the rate of 0.23% of Pay.

Explanation : For the purposes of this rule, "Pay" means basic pay including additions to the basic pay after reaching maximum of the scale as provided under sub-rule (3) of rule 4 of these rules";

(b) in sub-rule(2), for the figures and words "1148 points in the sequence 1148-1152-1156-1160", the figures and words "1740 points in the sequence of 1740-1744-1748-1752 " shall be substituted;

(iv) in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The House Rent Allowance of the Development Officers except those who are allotted residential accommodation by the Corporation shall be as under:

Place of posting	Rate of House Rent Allowance
i. Cities of Mumbai, Calcutta, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	11% of Pay, subject to the maximum of Rs.1200/- per month
ii. Cities with population exceeding 12 lakhs except those mentioned at i) above, Gandhi nagar and any city in the State of Goa .	9% of Pay, subject to the maximum of Rs.1000/- per month
iii. Other places.	8% of Pay, subject to the maximum of Rs.950/- per month

Notes : for the purposes of this rule,

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report,

(ii) cities shall include their urban agglomerations,

(iii) "pay" means Basic Pay, Additions to Basic Pay and Fixed Personal Allowance;

(v) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. City Compensatory Allowance:

Place of posting	Rate of CCA
i. Cities of Mumbai, Calcutta, Chennai, Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	4% of Pay, subject to the minimum of Rs.120/- per month and maximum Rs.300/-p.m.
ii. Cities with population exceeding 12 lakhs except those mentioned at i) , Gandhinagar	3% of Pay, subject to the minimum of Rs.100/-

and any city in the State of Goa.	per month and maximum of Rs.270/- per month
iii. Cities with population of 5 lakhs and above but not exceeding 12 lakhs, State Capitals with population not exceeding 12 lakhs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair and Panchkula.	2.5% of Pay, subject to the minimum of Rs.75/- per month and maximum of Rs.225/- per month.

Notes : for the purposes of this rule,

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report,

(ii) cities shall include their agglomerations,

(iii) pay means Basic Pay, Additions to Basic Pay";

(vi) in rule 7A, -

(a) against the entry (i), for column 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

" at the rate of 3% of basic pay subject to the maximum of Rs.180/- per month";

(b) against the entries (ii) and (iii), for column 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"at the rate of 2.5% of basic pay subject to the maximum of Rs.150/- per month";

(vii) for Rule 10, the following rule shall be substituted, namely :-

"10. Equitable Relief :-

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 1, the Corporation may, in respect of Development Officers, by instructions, provide for grant of arrears of salary for the period prior to 1.4.2000 by way of equitable relief in the following manner :-

The equitable relief paid for the period from 1.8.1997 to 31.3.1998, from 1.4.1998 to 31.3.1999 and 1.4.1999 to 31.3.2000 for the purpose of arriving at the annual remuneration for the purpose of appraisal year under the Special Rules shall be as shown below :-

(i) 50% of the equitable relief paid for the period 1.8.1997 to 31.3.1998 shall form part of the annual remuneration for the appraisal year commencing immediately after the date of publication of these rules and 50% of the equitable relief paid shall not be taken into account for the purpose of arriving at the annual remuneration and

(ii) 50% of the equitable relief paid for the period 1.4.1998 to 31.3.1999 shall form part of the annual remuneration for the appraisal year of twelve months period following the first mentioned period of twelve months and 50% of the equitable relief paid shall not be taken into account for the purpose of arriving at the annual remuneration, and

(iii) 50% of the equitable relief paid for the period 1.4.1999 to 31.3.2000 shall form part of the annual remuneration for the appraisal year of twelve months period following the second mentioned period of twelve months and 50% of the equitable relief paid shall not be taken into account for the purpose of arriving at the annual remuneration;

Explanation :

(1) For the removal of doubts, it is clarified that the salary relating to the financial year commencing on the 1st April 2000 shall form part of the annual remuneration in the relevant appraisal years in that financial year.

(2) The Corporation may provide by instructions issued in this behalf under sub-rule(2) of rule 51 of Staff Rules, 1960 for fixation of basic pay in the scales of pay as revised by these rules of persons who may have worked as Development Officers on or after 1st August 1997 but before the date

of publication of this notification in the official gazette, classify them according to the nature of cessation of their service as Development Officers and specify whether the payments by way of equitable relief may be allowed to any class of Development Officers at all for the period of their service as such and if so, the amount and the terms and conditions thereof :

Provided that no payment by way of equitable relief shall be allowed in respect of the class of Development Officers whose services may have been terminated under the Special Rules.

(3) Subject to the other provisions of this rule, where basic pay is fixed in accordance with this rule, the other allowances and benefits as revised by these rules shall also be payable on the basis of such fixation";

(vii) for rule 10A, the following rules shall be substituted, namely:-

"10A Fixed Personal Allowance:-

(1) A Development Officer other than a Development Officer on probation on first appointment or who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993, shall be paid, on account of computerisation one increment in the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993:

Provided that a Development Officer who on his first appointment in the Corporation's service was on probation on the 1st day of November, 1993 shall be paid one such increment on completion of one year of service after confirmation.

(2) A Development Officer who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him on the first day of November 1993, shall be paid a Fixed Personal Allowance on account of computerisation equal to the

last increment drawn in the scale of pay applicable to him on the first day of November 1993.

(3) A Development Officer who is in receipt of an increment on account of computerisation and who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him shall be paid the fixed personal allowance referred to in sub-rule (2) on the expiry of a period of one year after reaching the maximum of scale of pay.

(4) Fixed Personal Allowance granted as per sub-rule (2) above shall count for the purposes of House Rent Allowance, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Privilege Leave.

(5) Additional Increment for Computerisation for Development Officers who have joined the services of the Corporation after 1.11.1993 but before the date of publication of this notification in the official gazette:

The Development Officers who have joined the services of the Corporation after 1.11.1993 but before the date of publication of this notification in the official gazette shall be granted one increment in the scale of pay applicable to them on the date of publication of notification in the official gazette, with effect from the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette, subject to the following conditions:

(i) Such of those Development Officers who on their first appointment in the Corporation's service were on probation on the date of publication of this notification in the official gasette shall be granted the said increment only on completion of 365 days of service after the date of confirmation;

(ii) A Development Officer who is in receipt of the said increment and who reaches maximum of the scale of pay applicable to him shall be paid the Fixed Personal Allowance, which shall be equal to the last increment in the scale of pay applicable to him on the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette, on the expiry of a period of one year after reaching the maximum of the scale of

pay, and such Fixed Personal Allowance shall count for the purposes of House Rent Allowance, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Privilege Leave.

iii) The Development Officer who joins the services of the Corporation after the date of publication of this notification in the Official Gazette shall not be eligible for this increment;"

"10B Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI):

The Development Officers of the Corporation shall be paid Productivity Linked Lumpsum Incentive as under :

For the period from 1.8.1997 to 31.3.1999 the above said Development Officer shall be paid one time lumpsum payment of 1.67% of the wage bill of Development Officers as on 1.8.1997 (pre-revised) in lieu of PLLI.

For the period from 1.4.1999 to 31.3.2002, shall be as per Appendix.

Note : For the removal of doubts, it is clarified that the amount paid under this rule to the Development Officer shall form part of his annual remuneration/ad-hoc annual remuneration under Special Rules.

"10C Paradeep Port Allowance -

Every Development Officer working at office(s) in Paradeep shall be paid "Paradeep Port Allowance" of Rs.50/- per month with effect from the first of the month following the date of publication of this notification in the Official Gazette or the date of joining at Paradeep, whichever is later. This allowance shall not rank for any benefits but shall form part of the ad-hoc annual remuneration and annual remuneration under the Special Rules."

(viii) after rule 9C, the following rules shall be inserted with effect from the date of this notification in the official gazette, namely:-

"10D Maternity Leave-

The competent authority may grant to a female Development Officer maternity leave for a period which may extend upto 6 months at a stretch subject to a maximum of 12 months during the entire period of a Development Officer's service.

Provided that leave may be granted once during the service to a childless female Development Officer for legally adopting a child who is below one year of age. The maximum period of leave will be two months or till the child reaches the age of one year, whichever is earlier;

Provided further that leave will be granted for adoption of only one child:

Provided also that the adoption of a child is through a proper legal process and on submission of a certified true copy of adoption deed to the Corporation;

10E Sick Leave -

A Development Officer shall be entitled to sick leave on medical certificate at the rate of one month for each completed year of service subject to a maximum of sixteen months throughout the service in the Corporation.

Provided that the casual leave and the additional casual leave admissible to a Development Officer under sub-rule (1) and (2) of Rule 62 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 and not availed of by him shall be converted into additional sick leave on full pay upto a maximum of two months or on half pay upto a maximum of four months during the entire period of his service to be availed of by him on medical certificate:

Provided further that if a Development Officer is suffering from any of the major diseases of cancer, leprosy, T.B., paralysis, mental diseases, brain tumor, cardiac ailments, AIDs or kidney diseases he may be allowed special sick leave on half pay for a period not exceeding six months if he has to his credit no sick leave including additional sick leave admissible to him."

[F. No 2(14)-Ins III/97 (i)]

AJIT M SHARAN, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide G.S.R. No.1091(E) dated 17.9.1986 and subsequently amended vide G.S.R. No.962(E) dated 7.12.1987, G.S.R. No.871(E) dated 22.8.1988, G.S.R. No.968(E) dated 7.11.1989, G.S.R. No.825(E) dated 9.10.1990, G.S.R. No.55(E) dated 21.1.1992, G.S.R. No.325(E) dated 10.3.1992, G.S.R. No.54(E) dated 2.2.1994, G.S.R. No.596 dated 30.6.1995, G.S.R. No.95(E) dated 16.2.1996, G.S.R. No.287(E) dated 18.7.1996 and G.S.R. No.531(E) dated 27.08.1998

Appendix

PRODUCTIVITY LINKED LUMP SUM INCENTIVE SCHEME (PLLI)

(See Rule 10B)

Conditions for grant of PLLI	1. Grant of PLLI shall depend upon performance of the corporation as a whole in the following areas a) Growth in New Policies b) Growth in First Year Premium Income c) Growth in Total Premium Income 2. PLLI will be calculated on financial year basis and will depend upon the level of performance achieved by the corporation on all the above three parameters. 3. The PLLI will be payable only if the achievements of the corporation are higher than the THRESHOLD LEVELS which are as under: a) Growth in New Policies 11.76% b) Growth in First Year Premium Income 21.17% c) Growth in Total Premium Income 17.52% 4. PLLI shall be payable at the levels of 1%, 2%, 3%, etc. upto a maximum of 6% of the pre-revised wage bill of Development Officers as on 1/8/1997 depending upon the achievements of growth rates in the above mentioned areas as per the table appended hereto.

	5. The Total Premium Income and First Year Premium Income for the purpose shall be the premium income on individual assurance policies plus 10% of premium in respect of Jeevan Suraksha and Jeevan Dhara Policies plus 1.25% of premium in respect of Bima Nivesh and Jeevan Akshay Policies, full premium in respect of individual pension plans and shall exclude P&GS Premium Income. However, a marginal shortfall in any of the three areas noted above may be condoned by the Board. 6. The amount of PLLI in terms of percentage of wage bill will depend upon the growth rates achieved by the Corporation in all the three areas against the percentages mentioned provided, however, the amount of Total Premium Income, First Year Premium Income and Number of New Policies is not less than the amount of Total Premium Income, First Year Premium Income and Number of New Policies mentioned in the tables against respective years. 7. The PLLI will be distributed in one lumpsum annually on or after 1st August each year commencing from 1/8/2000 for the financial years 1999-2000, 2000-2001 and 2001-2002.

TOTAL PREMIUM INCOME:

PLLI IN TERMS OF % OF WAGE BILL	GROWTH RATE AS % OF TPI OF PREVIOUS YEAR	MINIMUM AMOUNT OF TPI REQUIRED TO BE ACHIEVED (Rs. in Crores)		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	19.41	24089	28309	33269
2%	20.37	24283	28537	33537
3%	21.33	24476	28765	33804
4%	22.47	24706	29035	34122
5%	23.78	24971	29345	34487
6%	25.44	25305	29739	34949

FIRST YEAR PREMIUM INCOME:

PLLI IN TERMS OF % OF WAGE BILL	GROWTH RATE AS % OF FYPI OF PREVIOUS YEAR	MINIMUM AMOUNT OF FYPI REQUIRED TO BE ACHIEVED (Rs. in Crores)		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	23.45	4925	5967	7219
2%	24.61	4971	6023	7287
3%	25.77	5017	6079	7355
4%	27.15	5072	6146	7435
5%	28.73	5135	6222	7528
6%	30.74	5215	6319	7645

NO. OF NEW POLICIES:

PLLI IN TERMS OF % OF WAGE BILL	GROWTH RATE AS % OF NO. OF NEW POLICIES OF PREVIOUS YEAR	MINIMUM NO. OF NEW POLICIES REQUIRED TO BE ACHIEVED		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	13.03	16777616	18750664	20955742
2%	13.67	16873266	18857562	21075212
3%	14.32	16968917	18964461	21194682
4%	15.08	17082501	19091403	21336553
5%	15.96	17213024	19237276	21499579
6%	17.08	17378419	19422122	21706163

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Development Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the notification. The Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986 are being amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2000

सा.का.नि. 552 (अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी [सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण (नियम 1985) जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है] का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2000 है।

(2) इन नियमों के उपबंध इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय 1 अगस्त, 1997 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

परंतु यह कि जहां कोई वर्ग 3 या वर्ग 4 कर्मचारी उस तारीख से पश्चात् की किसी तारीख से जिसको उक्त नियम प्रवृत्त होते हैं और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले इन नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होने के लिए लिखित रूप में अपना विकल्प व्यक्त करते हुए निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी अवधि के भीतर निगम को सूचना देता है वहां निगम उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा ऐसे कर्मचारी को शासित होने की अनुज्ञा आदेश द्वारा दे सकेगा और चयनित तारीख से पहले की अवधि के लिए ऐसे कर्मचारी के लिए कोई बकाया संदेय नहीं होगा।

(3) ये नियम वर्ग 3 और वर्ग 4 के उन कर्मचारियों को लागू होंगे जो 1-8-1997 को निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे और उनको जो उस तारीख के पश्चात् निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वेतन सेवा में पदग्रहण कर चुके हैं।

परंतु यह कि ऐसे वर्ग 3 या वर्ग 4 कर्मचारी, जिनका भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद), नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन 1-8-1997 और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की उक्त अवधि के दौरान त्याग पत्र स्वीकार कर दिया गया था जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, पुनरीक्षण के मद्दे बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे।

(4) इन नियमों की कोई बात किसी कर्मचारी को उससे उच्चतर अतिकाल मजदूरी का दावा करने का हकदार नहीं बनाएगी जो वह राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले हकदार था।

2. **उक्त नियमों में,**—

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. वर्ग 3 कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य भत्ते :

(1) वर्ग 3 कर्मचारियों के वेतनमान निम्नलिखित होंगे:—

अधीक्षक	6515-360(15)-11915 रुपये
उच्चतर श्रेणी सहायक	4940-285(3)-5795-360(15)-11195 रुपये
अनुभाग अध्यक्ष	4325-270(7)-6215-300(1)-6515-360(11)-10475रुपये
आशुलिपिक	4205-225(4)-5105-270(2)-5645-300(3)-6545-325(2)-7175-360(8)-10075 रुपये
सहायक गृहीता और संदायकर्ता रोकडिया के रूप में नियुक्त सहायक प्रजोक्शनकर्ता और माइक्रोप्रोसेसर आपरेटर	3385-185(1)-3570-205(2)-3980-225(5)-5105-270(2)-5645-300(3)-6545-325(2)-7195-360(5)-8995 रुपये
अभिलेख लिपिक	3165-110(4)-3605-165(3)-4100-180(2)-4460-190(11)-6550-200(1)-6750 रुपये

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रवर्ग के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे :—

(अ)	उच्चतर श्रेणी सहायक जो आंतरिक लेखा परीक्षा सहायकों के रूप में नियुक्त किए गए हैं।	
	(क) प्रथम पांच वर्ष के लिए	340/- रुपये प्रतिमास
	(ख) आगामी पांच वर्षों के लिए	380/- रुपये प्रतिमास
	(ग) पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए	420/- रुपये प्रतिमास
(आ)	सहायक जो गृहीता और संदायकर्त्ता रोकड़िया के रूप में नियुक्त किए गए हैं	330/- रुपये प्रतिमास

जिनको महंगाई भत्ता, भविष्य निधि, उपदान, मकान किराया भत्ता, पेंशन, विशेषाधिकार का नकदीकरण और प्रोन्नति पर वेतन के पुनः नियतन करने के लिए गणना में लिया जाएगा।

(3) वर्ग 3 के कैडर के निम्नलिखित वर्ग के कर्मचारियों को कार्यकरण भत्ता का संदाय किया जाएगा

(क)	बांडा, डुपलीकेटिंग और जीरोक्स मशीन प्रचालक जो अभिलेख लिपिक के वेतनमान में है :	45/- रुपये प्रतिमास
(ख)	माइक्रोप्रोसेसर आपरेटर जो सहायक के वेतनमान में है :	100/- रुपये प्रतिमास
(ग)	प्रोग्रामर जो उच्चतर श्रेणी सहायक वेतनमान में है :	180/- रुपये प्रतिमास

परंतु यह कि विद्यमान वर्ग 3 कर्मचारी जो 31 जुलाई, 1997 को कोई कार्यकरण भत्ता प्राप्त कर रहा है वह भविष्य में मजदूरी पुनरीक्षण आमेलित किए जाने के लिए उस समय तक प्राप्त करता रहेगा जब तक उस पद को धारण कर रहा है जिसके साथ कार्यकरण भत्ता जुड़ा हुआ है";

(ii) नियम 6 में,

(अ) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"(1) वर्ग 4 के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान निम्नलिखित होंगे:—

ड्राइवर	3165-135(7)-4110-165(12)-6090 रुपये
सिपाही, हमाल प्रधान चपरासी लिफ्टमैन तथा चौकीदार	2790-110(5)-3340-115(8)-4260-135(4)-4800-165(2)-5130 रुपये
झाड़ूकस और सफाई वाले	2660-110(5)-3210-115(9)-4245-135(5)-4920"

(आ) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमान के अतिरिक्त

(क) निम्नलिखित प्रवर्ग के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे जिसे सभी प्रयोजनों के लिए मूल वेतन के रूप में गिना जाएगा :

प्रधान चपरासी, लिफ्टमैन और चौकीदार	215/- रु. प्रतिमास

(ख) फ्रैंकिंग मशीन आपरेटरों, जो सिपाही के वेतनमान में है को 30/- प्रतिमास कार्यकरण भत्ता का संदाय किया जाएगा ''.

(ग) उपनियम (3), (4) और (5) का लोप किया जाएगा।

(iii) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''7. वेतनमान में अधिकतम तक पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्वियां :

कार्य अभिलेख के संतोषप्रदॅ पाए जाने के अधीन रहते हुए —

(क) किसी कर्मचारी को

(i) जो वर्ग 3 के अभिलेख लिपिक, सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में है ;

(ii) जो वर्ग 4 के किसी वेतनमान में है और जो उसे लागू वेतनमांन में अधिकतम तक पहुंच गया है ऐसे अधिकतम तक पहुंच जाने के पश्चात् पूरे किए गए सेवा के प्रत्येक दो वर्ष के लिए, उस वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त की गई अंतिम वेतन वृद्वि के बराबर एक और वेतन वृद्वि स्वीकार की जा सकती है किंतु ऐसी वेतनवृद्वियां अधिक से अधिक पांच होंगी।

परंतु कोई भी कर्मचारी यथास्थिति वेतनमान के अधितम तक पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वेतन वृद्वियॉ लेने के पश्चात् दो वर्ष के पूरे होने के पश्चात् आगामी मास की पहली तारीख से पूर्व मूल वेतन की ऐसी और वृद्वि पाने का हकदार नही होगा

यह और कि कोई भी कर्मचारी राज पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अगले मास की पहली तारीख से पहले मूल वेतनमान की ऐसी और पांचवी वेतन वृद्वि का हकदार नही होगा।

(ख) अनुभाग, अध्यक्ष या उच्चतर श्रेणी सहायक के वेतनमान में ऐसे किसी कर्मचारी को, जो वेतनमान में अधिकतम तक पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम तक पहुंच जाने के पश्चात् पूरे किए गए सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष के लिए उस वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त की गई अंतिम वेतन वृद्वि के बराबर मूल वेतन में एक और वेतन वृद्वि स्वीकार की जा सकती है किंतु ऐसी वेतन वृद्वियां अधिक से अधिक चार होंगी।

परंतु यह कि कोई भी कर्मचारी, यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वेतनवृद्वियां लेने के पश्चात् तीन वर्ष के पूरे हो जाने पर अगले मास की पहली तारीख से पूर्व मूल वेतन की ऐसी वेतनवृद्वि का हकदार नहीं होगा।

परंतु यह और कि कोई भी कर्मचारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले मास की पहली तारीख से पहले मूल वेतन की ऐसी चौथी वेतनवृद्वि का हकदार नहीं होगा।

(ग) अधीक्षक के वेतनमान में किसी कर्मचारी को जो वेतनमान में अधिकतम तक पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम तक पहुंच जाने के पश्चात् पूरे किए गए सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष के लिए उस वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त की गई अंतिम वेतन वृद्वि के बराबर मूल वेतन में एक और वेतन वृद्वि स्वीकार की जा सकती है किंतु ऐसी वेतनवृद्वियां अधिक से अधिक दो होंगी;

परंतु यह कि कोई भी कर्मचारी यथास्थिति वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वेतनवृद्वियां लेने के पश्चात् तीन वर्ष के पूरे हो जाने पर अगले मास की पहली तारीख से पूर्व मूल वेतन में ऐसी वेतनवृद्वि का हकदार नहीं होगा।

परंतु यह और कि कोई भी कर्मचारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले मास की पहली तारीख से पहले मूल वेतन की ऐसी दूसरी वेतनवृद्वि का हकदार नहीं होगा।

परंतु यह भी कि जहां किसी कर्मचारी को उसको लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने की तारीख से दो वर्ष या तीन वर्ष की सेवा के पूरे हो जाने पर अगले मास की पहली तारीख को खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट मूल वेतन में ऐसी वेतनवृद्वि स्वीकार नहीं की जाती है या राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले मास की पहली तारीख से या मूल वेतन में ऐसी अंतिम वेतनवृद्वि से ऐसी वेतनवृद्वि स्वीकार नहीं की जाती है यथास्थिति दो या तीन वर्ष की सेवा पूरी होने पर अगले मास की ऐसी पहली तारीख वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने की तारीख या मूल वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्वि या राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अगले मास की पहली तारीख, जिसे इसमें इसके पश्चात् सुसंगत तारीख कहा गया है वहॉ उसका मामला प्रत्येक कलैंडर वर्ष में उस मास में जिसमें वह सेवा के बारह मास पूरे करता है से अगले मास में पुनर्विलोकन के लिए शोध्य होगा जिसकी गणना उस सुंसगत तारीख से या ऐसे पुर्नविलोकन की तारीख से उस समय तक गिनती की जाएगी जब तक उसे मूल वेतन में ऐसी वेतन वृद्वि अनुज्ञात नहीं की जाती है और यदि बाद में ऐसी वेतनवृद्वि अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया जाता है तो वह उस कलैंडर वर्ष में जिसमें विनिश्चय किया जाता है के उस मास की पहली तारीख से प्रभावी होगा जिसमें पुनर्विलोकन शोध्य हो गया है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए "कलैंडर वर्ष" 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक का वर्ष अभिप्रेत है;

(iv) नियम 8 में,

(क) उपनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:

(i) वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का मान निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार : 1960 की श्रृंखला में सूचकांक सं. 1740 =100

दर : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1740 अंकों के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार अंकों के लिए "वेतन" का 0.23 प्रतिशत दर पर वर्ग 3 या वर्ग 4 के कर्मचारी को महंगाई भत्ता का संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इन नियम के प्रयोजन के लिए "वेतन" से अभिप्रेत है,

(i) मूल वेतन,

(ii) नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त राशि ,

(iii) नियम 4 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता ,

(iv) नियम 6 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता,

(v) नियम 19 (क) में यथाउपबंधित सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता, और

(vi) भारतीय जीवन बीमा निगम (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 के नियम 2 या नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता

(ख) उपनियम (2) में "1148-1152-1156-1160 के क्रम में 1148 अंक" अंक और शब्दों के स्थान पर "1740-1744-1748-1752 के क्रम में 1740 अंक" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(v) नियम 9 में, उपनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों के लिए उनके सिवाय जिन्हें निगम द्वारा आवास आबंटित कर दिया गया है, मकान किराया भत्ता के मान निम्नलिखित रूप में होगा ;

(क) 1-8-1992 से 31-7-1997 की अवधि के लिए

	तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ता की दर
(i)	वे शहर जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नौएडा गोवा राज्य में कोई शहर गुडगांव वाशि और गांधी नगर शहर	वेतन का 12 प्रतिशत
(ii)	अन्य स्थान	वेतन का 10 प्रतिशत

(ख) 1-8-1997 से आगे की अवधि के लिए

	तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ता की दर
(i)	मुम्बई, कलकत्ता, चैन्नई, दिल्ली, नौएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद गुड़गांवा और नवी मुम्बई के शहर	वेतन का 11 प्रतिशत अधिकतम 1200 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए
(ii)	वे शहर जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक है सिवाय उनके जो ऊपर (i) में	वेतन का 9 प्रतिशत अधिकतम 1000 रु.

	उल्लिखित ह गांधी नगर और गोवा राज्य में	प्रति मास के अधीन
	कोई शहर	रहते हुए
(iii)	अन्य स्थान	वेतन का 8 प्रतिशत
		अधिकतम 950/- रु.
		प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजन के लिए,

(i) आबादी के आंकड़े अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां भी सम्मिलित हैं।

(iii) 'वेतन' से अभिप्रेत है

(1) 1-8-1992 से 31-8-1994 तक की अवधि के लिए

(क) तत्तमय विद्यमान नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन और मूल वेतन 5 के अंतर्गत अतिरिक्त राशि भी है;

(ख) नियम 4 के उपनियम (4) के साथ पठित तत्तमय विद्यमान उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्तों का 90 प्रतिशत;

(ग) नियम 6 के उपनियम (3) के साथ पठित तत्तमय विद्यमान उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता, और

(घ) नियम 19 (क) के उपनियम (5) के या उपनियम (3) के साथ पठित, नियम 19 (ख) के उपनियम (6) के साथ पठित तत्तमय विद्यमान उपनियम (2) उपनियम (3) में निर्दिष्ट स्नातक भत्ता का 90 प्रतिशत।

(2) 1-8-1994 से 31-7-1997 तक की अवधि के लिए

(क) तत्तमय विद्यमान नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन और मूल वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त राशि भी है,

(ख) नियम 4 के उपनियम (4) के साथ पठित तत्तमय विद्यमान उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते,

(ग) नियम 6 के उपनियम (3) के साथ पठित तत्तमय विद्यमान उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता, और

(घ) यथास्थिति नियम 19 (क) के उपनियम (5) या उपनियम (3) के साथ पठित, नियम 19 (ब) के उपनियम (6) के साथ पठित तत्तमय विद्यमान उपनियम (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट स्नातक भत्ता,

(ड़) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 के तत्तमय विद्यमान नियम 2 या नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता,

(च) नियम 4 के उपनियम (5) और नियम 6 के उपनियम (4) के अधीन उपबंधित 1-7-1996 से विशेष भत्ता,

(3) 1-8-1997 से आगे की अवधी के लिए

(क) नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन और मूल वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त राशि भी है,

(ख) नियम 4 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते,

(ग) नियम 6 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता,

(घ) नियम 19 (क) में यथा उपबंधित सहायक और आशुलिपिकों के वेतनमान में संदेय स्नातक भत्ता,

(ड़) भारतीय जीवन बीमा के वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम 1988 के नियम 2 या नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता,

(च) नियम 19 (च) के अधीन उपबंधित नियम वैयक्तिक भत्ता";

(vi) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक

भत्ता निम्नलिखित रूप में होगा :

	तैनाती का स्थान	न.प्र.भ. की दर
(i)	मुम्बई, कलकता, चेन्नई, दिल्ली, नौएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नवी मुम्बई शहर	वेतन का 4 प्रतिशत न्यूनतम 120/-रु. प्रति मास और अधिकतम 275/- रु. प्रति मास के अधीन रहते हुए।
(ii)	वे शहर जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक है सिवाय उनके जो ऊपर (i) में उल्लिखित हैं, गोवा राज्य में कोई शहर और गांधी नगर	वेतन का 3 प्रतिशत न्यूनतम 100/- रु. प्रति मास और अधिकतम 250/- रु. प्रति मास के अधीन रहते हुए।
(iii)	वे शहर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे ऊपर है किन्तु 12 लाख से कम है, 12 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले राज्य की राजधानियां चंडीगढ़, मोहाली, पांडेचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला	वेतन का 2.5 प्रतिशत न्यूनतम 75/- रु. प्र.मा. और अधिकतम 200/- रु. प्रति मास के अधीन रहते हुए।

परन्तु जहां वर्ग 3 और 4 के कर्मचारी 1 अप्रैल, 1983 से ठीक पहले नगर प्रति करात्मक भत्ते के रूप में 20/-रु. प्रति मास की रकम प्राप्त करता रहा है तो ऐसा कर्मचारी उक्त रकम को निरंतर तब तक प्राप्त करेगा जब तक कि वह भविष्य में वेतन पुनरीक्षण में आमेलित किए जाने के लिए उसी स्थान में तैनात है।

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजन के लिए :

(i) आबादी के आंकड़े अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे,

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं,

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, मूल वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त राशि और वर्ग 4 के लिए संदेय विशेष भत्ता";

(vii) नियम 11 में—

(क) प्रविष्टि (i) के सामने स्तंभ 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"मूल वेतन के 3 प्रतिशत की दर पर, अधिकतम 180 रु. प्रति मास तक";

(ख) प्रविष्टि (ii) और प्रविष्टि (iii) के सामने स्तंभ 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"मूल वेतन के 2.5 प्रतिशत की दर पर, अधिकतम 150 रु. प्रति मास तक";

(viii) नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"13 (क) **उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन उ.सं.ए.प्रो. :—**

निगम के वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध एक मुश्त प्रोत्साहन निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा :

1-8-1997 से 31-3-1999 तक की अवधि के लिए, तारीख 1-8-1997 को उपर्युक्त वर्ग 3 और 4 कर्मचारियों के मजदूरी बिल पुनरीक्षण पूर्व के 1.67 प्रतिशत का उ.सं.ए.प्रा. के बदले एक समय एक मुश्त संदाय किया जाएगा।

1-4-1999 से 31-03-2002 तक की अवधि के लिए परिशिष्ट के अनुसार होगा"

(ix) नियम 15 के उपनियम (क) का लोप किया जाएगा ;

(x) नियम 16 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से रखा जाएगा, अर्थात्

"परंतु यह और कि यदि ऐसा कर्मचारी कैंसर, कुष्ठ यक्षमा पक्षाघात, मानसिक बीमारी, मस्तिष्क शोथ, हृदय संबंधी बीमारियों, एड्स या गुर्दे की बीमारी जैसी बड़ी बीमारियों में से किसी से ग्रस्त है तो उसे आधे वेतन पर अधिक से अधिक छह मास की विशेष रुग्णता छुट्टी अनुज्ञात की जा सकती है यदि उसके खाते में उसे अनुज्ञेय अतिरिक्त रुग्णता छुट्टी सहित कोई रुग्णता छुट्टी नहीं है।";

(xi) नियम 17 के स्थान पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

17. "**प्रसूति छुट्टी**

सक्षम प्राधिकारी किसी महिला कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 12 मास के अधीन रहते हुए ऐसी अवधि के लिए प्रसूति छुट्टी स्वीकृत कर सकता है जिसका विस्तार एक समय में 6 मास तक हो सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसी नि:संतान महिला कर्मचारी जो एक वर्ष की आयु से कम के किसी बच्चे का दत्तक ग्रहण करती है को, सेवा के दौरान एक बार छुट्टी मंजूर की जा सकती है। छुट्टी की अधिकतम अवधि, दो मास या जब तक वह बच्चा एक वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक के लिए, जो भी पहले हो, होगी।

परन्तु यह और कि छुट्टी केवल एक बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए ही मंजूर की जाएगी :

परन्तु यह भी कि बच्चे का दत्तक ग्रहण उचित विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए और निगम को दत्तक ग्रहण विलेख की एक प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाएगी ";

(xii) नियम 18 में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(xiii) नियम 19क और नियम 19ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"19क. स्नातक वेतन वृद्धियां और स्नातक भत्ता :—

(क) स्नातक वेतन छुट्टियां :—

सहायक या आशुलिपिक के मान में कोई कर्मचारी :—

(i) जो नियुक्ति के समय किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक है; या

(ii) जो नियुक्ति की तारीख के पश्चात् मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक हो जाता है को, खंड (i) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी की दशा में नियुक्ति की तारीख से ही उसे लागू वेतनमान में दो वेतनवृद्धियां मंजूर की जाएगी और खंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी की दशा में उस मास के जिसमें परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है के अगले मास की पहली तारीख से उसे लागू वेतनमान में दो वेतनवृद्धियां मंजूर की जाएंगी।

(ख) स्नातक भत्ता :—

(i) अभिलेख लिपिक के मान के कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता :—

अभिलेख लिपिक के मान में ऐसा कर्मचारी जो उसकी नियुक्ति के समय पर मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक है या ऐसे पद पर उसकी नियुक्ति के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक हो जाता है क्रमश: उसके अभिलेख लिपिक के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से या उस मास जिसमें परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है के आगामी मास की पहली तारीख से 150 रुपये स्नातक भत्ता मंजूर किया जाएगा, जो किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।

(ii) सहायक और आशुलिपिक के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता :—

(क) सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में कोई ऐसा कर्मचारी जो उसे लागू मान की अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक हो जाता है को, उस मास जिसमें परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है के आगामी मास की पहली तारीख से 250/- रु. प्रति मास स्नातक भत्ता मंजूर किया जाएगा।

(ख) सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में कोई कर्मचारी जो स्नातक वेतन वृद्धियां प्राप्त कर चुका है और जो उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाता है उसे ऐसे अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से प्रारंभ होने वाली सेवा के एक वर्ष के पूरे हो जाने के अगले मास की पहली तारीख से 125/- रुपए प्रति मास स्नातक भत्ता मंजूर किया जाएगा।

(ग) सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में कोई कर्मचारी जो स्नातक वेतन वृद्धियां प्राप्त कर चुका है और जो उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाता है उसे ऐसे अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से प्रारंभ होने वाली सेवा के दो वर्ष पूरे हो जाने के आगामी मास की पहली तारीख से 250/- रुपए प्रति मास की दर पर स्नातक भत्ता मंजूर किया जाएगा।

(घ) सहायक या आशुलिपिक के मान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता मूल वेतन का भाग रूप नहीं माना जाएगा : परंतु, यह कि उक्त भत्ता, मंहगाई भत्ता, भविष्य निधि, उपदान, पेंशन, विशेषाधिकार छुट्टी का नकदीकरण, मकान किराया भत्ता और प्रोन्नति कर वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

(xiv) नियम 19घ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"19घ. नियत वैयक्तिक भत्ते

(1) वर्ग 3 और वर्ग 4 के किसी कर्मचारी को जो उसे लागू वेतनमान में अधिकतम राशि पर पहुंच गया है या जो 1-11-1993 से इन नियमों के नियम 7 में निर्दिष्ट मूलवेतन में एक या उससे अधिक वेतन वृद्धियां प्राप्त कर रहा है कम्प्यूटीकरण के मद्दे 1-11-1993 को उसे लागू वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतन वृद्धि के बराबर नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(2) वर्ग 3 और वर्ग 4 के किसी कर्मचारी के जो कम्प्यूटरीकरण के मध्य वेतनवृद्धि ले रहा है और जो उसे लागू वेतन के अधिकतम राशि तक पहुंच चुका है, उपनियम (1) में निर्दिष्ट वेतनमान की अधिकतम राशि पर पहुंचने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर वैयक्तिक भत्ता संदाय किया जाएगा।

(3) नियत वैयक्तिक भत्ता, मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि, उपदान, पेंशन, विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

(4) वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों के लिए जो 1-11-1993 के पश्चात् किन्तु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व निगम की सेवाओं में पदग्रहण कर चुके हैं कम्प्यूटीकरण के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि, अर्थात् :—

वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी जो 1-11-1993 के पश्चात् किन्तु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व निगम की सेवाओं में पदग्रहण कर चुके हैं उनको निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले मास की पहली तारीख से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख का, उनको लागू वेतनमान में एक वेतनवृद्धि मंजूर की जाएगी :—

(i) ऐसे उन वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों को, जो निगम की सेवा में उनकी प्रथम नियुक्ति के कारण राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को परिवीक्षा पर थे उक्त वेतनवृद्धि केवल पुष्टि की तारीख के पश्चात् सेवा के 365/366 दिनों के पूरे हो जाने पर मंजूर की जाएगी ;

(ii) वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी जो उक्त वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहा है और जो उसे लागू वेतनमान की अधिकतम राशि पर पहुंच जाता है उसे नियत वैयक्तिक भत्ता का संदाय किया जाएगा, जो वेतनमान की अधिकतम राशि पर पहुंचने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले मास की पहली तारीख को उसे लागू वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर होगा और ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता, मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि, पैंशन उपदान और विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा;

(iii) कोई वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् निगम की सेवाओं में पदग्रहण करता है इस वेतनवृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा";

(xv) नियम 19 (ड़) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(19च) पारादीप पत्तन भत्ता —

पारादीप में कार्यालय (कार्यालयों) में कार्यरत प्रत्येक वर्ग 3 या वर्ग 4 कर्मचारी को अधिसूचना की तारीख के अगले मास की पहली तारीख से या पारादीप में पदग्रहण करने की तारीख से जो भी बाद वाली हो, से 50/- रु. प्रति मास "पारादीप पत्तन भत्ता" संदत्त किया जाएगा यह भत्ता किसी भी फायदे की पंक्ति में नहीं होगा।"

[फा. सं. 2(14)-बीमा-III/97(ii)]

अजीत एम. शरण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. सं. 357(अ) तारीख 11-4-1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :— सा.का.नि. सं. 18(अ) तारीख 7-11-1986, सा.का.नि. सं. 1076(अ) तारीख 11-9-1986, सा.का.नि. सं. 961(अ) तारीख 7-12-1987, सा.का.नि. सं. 870(अ) और 873(अ) दोनों की तारीख 22-8-1988, सा.का.नि. सं. 515(अ) तारीख 12-5-1989, सा.का.नि. सं. 509(अ) तारीख 24-5-1990, सा.का.नि. सं. 620(अ) तारीख 6-7-1990, सा.का.नि. सं. 628(अ) तारीख 10-7-1990, सा.का.नि. सं. 338(अ) तारीख 11-7-1991, सा.का.नि. सं. 697(अ) तारीख 25-11-1991, सा.का.नि. सं. 46(अ) और 47(अ) दोनों की तारीख 4-2-1993, सा.का.नि. सं. 746(अ) तारीख 13-12-1993, सा.का.नि. सं. 55(अ) तारीख 2-2-1994, सा.का.नि. सं. 595(अ) तारीख 30-6-1995, सा.का.नि. सं. 669(अ) तारीख 27-9-1995, सा.का.नि. सं. 102(अ) तारीख 22-2-1996, सा.का.नि. सं. 261(अ) तारीख 22-5-1998, सा.का.नि. सं. 532(अ) तारीख 27-8-1998, सा.का.नि. सं. 445(अ) तारीख 18-6-1999 और सा.का.नि. सं. 611(अ) तारीख 30-8-1999।

परिशिष्ट

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन स्कीम

(नियम 13क देखिए)

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के अनुदान के लिए शर्तें

1. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का अनुदान निगम के निम्नलिखित क्षेत्रों में समग्र रूप से कार्य निष्पादन पर निर्भर करेगा :

(क) नई पालिसियों में वर्धन

(ख) प्रथम वर्ष प्रीमियम आय में वर्धन

(ग) कुल प्रीमियम आय में वर्धन

2. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष के आधार पर संगणित किया जाएगा और निगम द्वारा उपर्युक्त सभी तीनों पैरामीटरों में प्राप्त कार्य निष्पादन के स्तर पर आधारित होगा।

3. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन केवल तभी संदेय होगा जब निगम की उपलब्धियां प्रारंभिक स्तरों से अधिक हों जो कि निम्नलिखित हैं :—

(क) नई पालिसियों में वर्धन 11.76 प्रतिशत

(ख) प्रथम वर्ष प्रीमियम आय में वर्धन 21.17 प्रतिशत

(ग) कुल प्रीमियम आय में वर्धन 17.52 प्रतिशत

4. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन तारीख 1-8-1997 को वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों के पुनरीक्षण पूर्व मजदूरी बिल के अधिकतम 6 प्रतिशत तक 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, आदि स्तरों पर संदेय होगा जो कि इससे उपाबद्ध सारणी के अनुसार ऊपर वर्णित क्षेत्रों में वर्धन दरों की प्राप्ति पर निर्भर करेगा।

5. इस प्रयोजन के लिए कुल प्रीमियम आय और प्रथम वर्ष प्रीमियम आय वैयक्तिक बीमा पालिसियों पर प्रीमियम आय जमा जीवन सुरक्षा और जीवन धारा पालिसियों की बाबत प्रीमियम का 10 प्रतिशत जमा बीमा निवेश और जीवन अक्षय पालिसियों की बाबत प्रीमियम का 1.25 प्रतिशत, वैयक्तिक पेंशन योजनाओं की बाबत पूर्ण प्रीमियम पर प्रीमियम आय होगी और इसमें पी एडं जी एस आय सम्मिलित नहीं होगी।

तथापि ऊपर लिखित तीनों क्षेत्रों में से किसी में सीमांत कमी को बोर्ड द्वारा माफ किया जा सकता है।

6. मजदूरी बिल की प्रतिशतता के रूप में उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की रकम निगम द्वारा उल्लिखित प्रतिशतताओं के विरुद्ध सभी तीनों क्षेत्रों में प्राप्त वर्धन की दरों पर निर्भर करेगी तथापि, कुल प्रीमियम आय की रकम, प्रथम वर्ष प्रीमियम आय और नई पालिसियों की संख्या कुल मिलाकर उन वर्षों के सामने सारणियों में वर्णित कुल प्रीमियम आय की रकम, प्रथम वर्ष प्रीमियम आय और नई पालिसियों की संख्या से कम नहीं होगी।

7. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए 1-8-2000 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष एकमुश्त वितरित की जाएगी।

कुल प्रीमियम आय :

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	पूर्व वर्ष की कुल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में वर्धन दर	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित कुल प्रीमियम आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपयों में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1%	19.41	24089	28309	33269
2%	20.37	24283	28537	33537
3%	21.33	24476	28765	33804
4%	22.47	24706	29035	34122
5%	23.78	24971	29345	34487
6%	25.44	25305	29739	34949

प्रथम वर्ष प्रीमियम आय :

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	पूर्व वर्ष के प्रथम वर्ष में नई पालिसियों की संख्या में प्रतिशत के रूप में वर्धन दर	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रथम वर्ष प्रीमियम आय की न्यूनतम रकम (करोड़ रुपयों में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1%	23.45	4925	5967	7219
2%	24.61	4971	6023	7287
3%	25.77	5017	6079	7355
4%	27.15	5072	6146	7455
5%	28.73	5135	6222	7528
6%	30.74	5215	6319	7645

नई पालिसियों की संख्या :

मजदूरी बिल के प्रतिशत के अनुसार उत्पादकता संबंद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन	पूर्व वर्ष के प्रथम वर्ष में नई पालिसियों की संख्या में प्रतिशत के रूप में वर्धन दर	प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित नई पालिसियों की संख्या		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1%	13.03	16777616	18750664	20955742
2%	13.67	16873266	18857562	21075212
3%	14.32	16968917	18964461	21194682
4%	15.08	17082501	19091403	21336553
5%	15.96	17213024	19237276	21499579
6%	17.08	17378419	19422122	21706163

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण करने के लिए अनुमोदन कर दिया है। तद्नुसार भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुरनरीक्षण) नियम, 1985 को इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित किया जा.रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd June, 2000

G.S.R. 552(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Class-III and Class-IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, (hereinafter referred to as "the said rules") namely:-

1. **Short title, commencement and application :**

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class-III and Class-IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2000.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of these rules shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1997:

Provided that where any Class-III or Class-IV employee gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules comes into force and not later than the date of publication of this notification in the official gazette, then the Corporation may, by order, permit such employee to be governed by the said rule with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date chosen shall be payable for such employee.

(3) These rules shall be applicable to those Class-III and Class-IV employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on 1.8.1997:

Provided that the Class-III or Class-IV employees whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under Rule 39 of LIC of India (Staff) Rules, 1960 during the period from 1.8.1997 and the date of publication of this notification in the official gazette shall not be eligible for the arrears on account of revision.

(4) Nothing contained in these rules shall entitle an employee to claim overtime wages higher than what he had been entitled to prior to the date of publication of this notification in the official gazette.

2. In the said rules,

(i) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:

"4. Scales of Pay and other allowances of Class-III Employees:

(1) The scales of pay of Class-III employees shall be as under:-

Superintendents	Rs.6515 - 360(15) - 11915
Higher Grade Assistants	Rs.4940 - 285(3) – 5795 - 360(15) -11195
Section Heads	Rs.4325 - 270(7) – 6215 - 300(1) – 6515 - 360(11) – 10475
Stenographers	Rs.4205 - 225(4) – 5105 - 270(2) – 5645 – 300(3)-6545 - 325(2)-7195 - 360(8) –10075
Assistants, Assistants appointed as Receiving and Paying Cash ers, Projectionists and Microprocessor Operators	Rs. 3385 - 185(1) – 3570 - 205(2) – 3980 – 225(5) – 5105 - 270(2) - 5645-300(3) – 6545 - 325(2) – 7195 –360(5) – 8995
Record Clerks	Rs.3165 - 110(4) – 3605 - 165(3) – 4100 – 180(2) – 4460 – 190(11) – 6550 - 200(1) – 6750

(2) In addition to the scales of pay specified in sub-rule(1) the following categories of employees shall receive a special allowance to the extent specified below: -

(A) Higher Grade Assistants appointed as Internal Audit Assistants

(a)	For the first five years -	Rs.340/- per month
(b)	For the next five years -	Rs.380/- per month
(c)	For the subsequent years-	Rs.420/- per month

(B) Assistants appointed as receiving and paying Cashiers -Rs.330/- per month

which shall count for the purpose of calculation of Dearness Allowance, Provident Fund, Gratuity, House Rent Allowance, Pension, Encashment of PL and Re-fixation of salary on Promotion.

(3) Functional Allowance shall be paid to the following categories of Employees in Class-III cadre.

(a) Banda, Duplicating and Zerox Machine Operators in the scale of Pay of Record Clerks:	- Rs.45/- per month
(b) Microprocessor Operators in the scale of Assistants:	- Rs.100/- per month
(c) Programmers in the scale of pay of Higher Grade Assistants:	- Rs.180/- per month

Provided that an existing Class-III employee who is in receipt of any Functional Allowance as on the 31st day of July, 1997 shall continue to draw the same so long as he is holding the post to which the Functional Allowance is attached, to be absorbed in future wage revision";

(ii) in rule 6, -

(A) for sub-rule(1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) The scales of pay of Class-IV subordinate employees shall be as under:-

Drivers	Rs.3165 - 135(7) – 4110 - 165(12) – 6090
Sepoys, Hamals, Head Peons, Liftmen and Watchmen	Rs.2790 – 110(5) – 3340 –115(8) – 4260 – 135(4) – 4800 – 165(2) – 5130

Sweepers and Cleaners	Rs.2660 - 110(5) – 3210 - 115(9) – 4245 - 135(5) – 4920";

(B) for sub-rule(2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) In addition to the scales of pay specified in sub-rule(1)-

(a) Following categories of employees shall receive special allowance to the extent specified below, which shall count as a basic pay for all purposes:

Head Peons, Liftmen and Watchmen - Rs.215/- per month.

(b) Franking Machine Operators in the scale of Sepoy shall be paid a Functional Allowance of Rs.30/- per month";

(C) sub-rules(3),(4) and (5) shall be omitted;

(iii) for rule 7, the following shall be substituted , namely:-

"7. Addition to the Basic Pay after reaching maximum of the scales:

Subject to the work record being found satisfactory

(a) an employee

(i) in the scale of Record Clerk, Assistant or Stenographer in Class-III;

(ii) in any of the scales in Class-IV

who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him may be granted for every two completed years of service after reaching such maximum, an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to a maximum of five such additions:

Provided that no employee shall be entitled to such addition to the basic pay before the first day of the month following completion of two years after reaching maximum of the scale of pay or after drawing such additions, as the case may be:

Provided further that no employee shall be entitled to the fifth such addition to the basic pay before the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette:

(b) An employee in the scale of pay of Section Head or Higher Grade Assistant who has reached the maximum of the scale, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to the maximum of four such additions:

Provided that no employee shall be entitled to such addition to the basic pay before the first day of the month following completion of three years after reaching maximum of the scale of pay or after drawing such additions, as the case may be:

Provided further that no employee shall be entitled to the fourth such addition to the basic pay before the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette:

(c) An employee in the scale of Superintendent who has reached the maximum of the scale, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an addition to the basic pay equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to the maximum of two such additions:

Provided that no employee shall be entitled to such addition to the basic pay before the first day of the month following completion of three years after reaching maximum of the scale of pay or after drawing such additions, as the case may be:

Provided further that no employee shall be entitled to the second such addition to the basic pay before the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette:

Provided also that where an employee is not granted such addition to the basic pay referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) on first day of the month following completion of two years or three years of service from the date of reaching maximum of the scale of pay applicable to him or from the last such addition to the basic pay or from the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette (such first day of the month following completion of two or three years of service from the date of reaching maximum of the scale of pay or the last such addition to the basic pay or the fist day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette being hereinafter referred to as "the relevant date", as the case may be), his case shall fall due for review in each calendar year in the month following that in which he completes twelve months of service as reckoned from the relevant date, or from the date of such review, so long as he has not been allowed such addition to the basic pay, and if it is decided to allow such addition subsequently, it shall take effect from the first of the month in which the review has fallen due in the calendar year in which the decision is taken.

Explanation : For the purposes of this rule 'calendar year' means the year from Ist day of January to 31st day of December";

(iv) in rule 8,-

(a) for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The scale of dearness allowance of Class-III and Class-IV employees shall be determined as under:

Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

Base : Index No.1740 in the series 1960=100.

Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 1740 points, a Class-III or a Class-IV employee shall be paid dearness allowance at the rate of 0.23% of Pay.

Explanation : For the purposes of this rule "Pay" means -

(i) basic pay;

(ii) additions to basic pay referred to in rule 7;

(iii) special allowance referred to in sub-rule (2) of rule 4;

(iv) special allowance referred to in sub-rule (2) of rule 6;

(v) Graduation Allowance payable to the employees in the scale of pay of Assistants and Stenographers as provided in rule 19A; and

(vi) special allowance referred to in rule 2 or rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988";

(b) in sub-rule(2), for the figures and words "1148 points in the sequence .148-1152-1156-1160", the figures and words "1740 points in the sequence of 1740-1744-1748-1752" shall be substituted;

(v) in rule 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The House Rent Allowance of Class-III and Class-IV employees except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation, shall be as under:

a) For the period 1.8.1992 to 31.7.1997

Place of posting	Rate of House Rent Allowance
i. Cities with population exceeding 12 lakhs, Faridabad, Ghaziabad, Noida, any city in the State of Goa, cities of Gurgaon, Vashi and Gandhinagar	12% of Pay
ii. Other places.	10% of Pay.

b) For the period 1.8.1997 onwards

Place of posting	Rate of House Rent Allowance
i. Cities of Mumbai, Calcutta, Chennai, Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	11% of Pay subject to the maximum of Rs.1200/- p.m.
ii. Cities with population exceeding 12 lakhs, except those mentioned at (i),Gandhinagar and any city in the State of Goa .	9% of Pay subject to the maximum of Rs.1000/- p.m.
iii. Other places.	8% of Pay subject to the maximum of Rs.950/- p.m.

Notes : for the purposes of this rule,

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations;

(iii) "pay" means-

(1) for the period from 1.8.1992 to 31.7.1994

(a) basic pay including additions to basic pay referred to in the then existing rule 7;

(b) 90 per cent of the special allowances referred to in the then existing sub-rule(2), read with sub-rule(4) of rule 4;

(c) special allowance referred to in the then existing sub-rule(2), read with sub-rule(3) of rule 6, and

(d) 90 per cent of the graduation allowance referred to in the then existing sub-rule(2) or sub-rule(3), read with sub-rule(5) of rule 19A or sub-rule(3), read with sub-rule(6) of rule 19B;

(2) for the period from 1.8.1994 to 31.7.1997

(a) basic pay including additions to basic pay referred to in the then existing rule 7;

(b) special allowances referred to in the then existing sub-rule(2), read with sub-rule(4) of rule 4;

(c) special allowance referred to in the then existing sub-rule(2), read with sub-rule(3) of rule 6, and

(d) graduation allowance referred to in the then existing sub-rule(2) and sub-rule(3), read with sub-rule(5) of rule 19A or, as the case may be, sub-rule(3), read with sub-rule(6) of rule 19B;

(e) special allowance referred to in the then existing rule 2 or rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988;

(f) with effect from 1.7.1996 the special allowance provided under sub-rule(5) of rule 4 and sub-rule(4) of rule 6.

(3) for the period from 1.8.1997 onwards.

(a) basic pay including additions to basic pay referred to in Rule 7;

(b) special allowances referred to in sub-rule(2) of Rule 4;

(c) special allowance referred to in sub-rule(2) of Rule 6,;

(d) graduation allowance payable in the scale of pay of Assistant and Stenographers as provided in Rule 19A;

(e) special allowance referred to in rule 2 or rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988;

f) Fixed Personal Allowance provided under Rule 19D";

(iv) for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:-

"10. City Compensatory Allowance:

The City Compensatory Allowance payable to Class-III and Class-IV employees shall be as under:

Place of posting	Rate of CCA
i. Cities of Mumbai, Calcutta, Chennai, Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Navi Mumbai.	4% of Pay subject to the minimum of Rs.120/- p.m. and the maximum of Rs.275/-p.m.
ii. Cities with population exceeding 12 lakhs, except those mentioned at (i) above,Gandhinagar and any city in the State of Goa	3% of Pay subject to the minimum of Rs.100/- p.m. and the maximum of Rs.250/- p.m.
iii. Cities with population of 5 lakhs and above but not exceeding 12 lakhs, State Capitals with population not exceeding 12 lakhs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair and Panchkula.	2.5% of Pay subject to the minimum of Rs. 75/- p.m. and the maximum of Rs.200/- p.m.

Provided that where any class III or class IV employee is in receipt of an amount of Rs.20/- per month as City Compensatory Allowance before the 1st day of April ,1983 such employee shall continue to receive the said amount so long as he is posted at the same place, to be absorbed in future wage revision."

Notes : for the purposes of this rule,

i) the population figures shall be as per the latest Census Report,

ii) cities shall include their urban agglomerations.

iii) "pay" means Basic Pay, Additions to Basic Pay and Special Allowance payable to Class IV.

(vii) In rule 11,

a) against the entry (i), for column 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

at the rate of 3% of Basic Pay subject to maximum of Rs.180/- per month" ;

b) against the entries (ii) and (iii), for column 2 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:-

"at the rate of 2.5% of Basic Pay, subject to maximum of Rs.150/- per month";

(viii) After rule 13,the following rule shall be inserted, namely:-

"13A Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI):

The Class-III and Class-IV employees of the Corporation shall be paid Productivity Linked Lumpsum Incentive as under :

For the period from 1.8.1997 to 31.3.1999, the above said Class III and Class IV employee shall be paid one time lumpsum payment of 1.67% of the wage bill of Class-III and Class-IV employees as on 1.8.1997 (pre-revised) in lieu of PLLI.

For the period 1.4.1999 to 31.03.2002 shall be as per Appendix"

(ix) in rule 15, the sub-rule(1A) shall be omitted;

(x) in rule 16, for the second proviso, the following proviso shall be substituted with effect from the date of publication of this notification in the official gazette, namely:-

"Provided further that if an employee is suffering from any of the major diseases of cancer, leprosy, T.B., paralysis, mental diseases, brain tumor, cardiac ailments, AIDs or kidney diseases he may be allowed special sick leave on half pay for a period not exceeding six months if he has to his credit no sick leave including additional sick leave admissible to him";

(xi) for rule 17, the following shall be substituted with effect from the date of publication of this notification in the official gazette, namely:-

"17 Maternity Leave-

The competent authority may grant to a female employee maternity leave for a period which may extend upto 6 months at a stretch subject to a maximum of 12 months during the entire period of an employee's service:

Provided that leave may be granted once during the service to a childless female employee for legally adopting a child who is below one year of age. The maximum period of leave will be two months or till the child reaches the age of one year, whichever is earlier:

Provided further that leave will be granted for adoption of only one child:

Provided also that the adoption of a child is through a proper legal process and on submission of a certified true copy of adoption deed to the Corporation";

(xii) in rule 18, the Explanation shall be omitted;

(xiii) for rules 19A and 19B the following shall be substituted, namely:-

"19A Graduation Increments and Graduation Allowance -

(a) Graduation Increments -

An employee in the scale of Assistant or Stenographer

(i) who is graduate of a recognised university at the time of appointment or

(ii) who becomes graduate of the recognised university after the date of appointment

shall be granted two increments in the scale of pay applicable to him on and from the date of appointment, in case of employee covered under clause (i) and from the first day of the month following the month in which the result of the examination is declared, in case of employee covered under clause (ii).

(b) Graduation Allowance -

(i) Graduation Allowance payable to the employees in the scale of Record Clerk-

an employee in the scale of Record Clerk who is a graduate of a recognised university at the time of his appointment or who becomes a graduate of a recognised university after his appointment to such post, shall be granted graduation allowance of Rs.150/- p.m. from the date of his appointment as Record Clerk or from the first day of the month following the month in which the result of the examination is declared respectively, which shall not count for any purposes.

(ii) Graduation Allowance payable to the employees in the scale of Assistant and Stenographer -

(a) an employee in the scale of Assistant or Stenographer who becomes a graduate of a recognised university after reaching maximum of the scales applicable to him shall be granted graduation allowance of Rs.250/- p.m. from the first day of the month following the month in which the result of the examination is declared.

(b) an employee in the scale of pay of Assistant or Stenographer who has received the graduation increments and who reaches the maximum of the scale of pay referred to in sub-rule(1) of rule 4 of the said rules shall be granted graduation allowance of Rs.125/- per month from the first day of the month following the completion of one year of service commencing from the date of reaching such maximum:

(c) an employee in the scale of pay of Assistant or Stenographer who has received the graduation increments and who reaches the maximum of the scale of pay referred to in sub-rule(1) of rule 4 of the said rules shall be granted graduation allowance at the rate of Rs.250/- per month from the first day of the month following the completion of two years of service commencing from the date of reaching such maximum.

(d) the graduation allowance payable to the employees in the scale of Assistant or Stenographer shall not be treated as part of basic pay, provided, however, that the said allowance shall count for the purpose of Dearness Allowance, Provident Fund, Gratuity, Pension, Encashment of Privilege Leave, House Rent Allowance and fixation of salary on promotion;

(xiv) for rule 19D, the following rule shall be substituted, namely:-

"19D Fixed Personal Allowance

(1) A Class-III or Class-IV employee who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him or who has been in receipt of one or more additions to the basic pay referred to in rule 7 of the these rules on the first day of November, 1993, shall be paid a fixed personal allowance on account of computerisation, which shall be equal to the last increment drawn by him in the scale of pay applicable to him on the first day of November, 1993.

(2) A Class III or a class IV employee who is in receipt of an increment on account of computerisation and who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him shall be paid the fixed personal allowance referred to in sub-rule(1) on the expiry of a period of one year or reaching the maximum of the scale of pay.

(3) Fixed personal allowance shall count for the purposes of House Rent Allowance, Provident Fund, Gratuity, Pension, Encashment of Privilege Leave.

(4) Additional Increment for Computerisation for Class-III and Class-IV employees who have joined the services of the Corporation after 1.11.1993 but before the date the publication of this notification in the official gazette, namely,

The Class-III and Class-IV employees who have joined the services of the Corporation after 1.11.1993 but before the date of publication of this notification in the official gazette shall be granted one increment in the scale of pay applicable to them on the date of publication of this notification in the official gazette, with effect from the first day of the month following the date of publication of this notification in the official gazette, subject to the following conditions:-

(i) Such of those Class-III and Class-IV employees on their first appointment in the Corporation's service were on probation on the

date of publication of this notification in official gazette shall be granted the said increment only on completion of 365/366 days of service after the date of confirmation;

(ii) A Class-III and Class-IV employee who is in receipt of the said increment and who reaches maximum of the scale of pay applicable to him shall be paid the Fixed Personal Allowance, which shall be equal to the last increment in the scale of pay applicable to him, on the first day of the month following the date of publication of this notification in the official, on the expiry of a period of one year of reaching the maximum of the scale of pay, and such Fixed Personal Allowance shall count for the purposes of House Rent Allowance, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Privilege Leave.

(iii) Any Class-III or Class-IV employee who joins the services of the Corporation after the date of publication of this notification in the official gazette shall not be eligible for this increment";

(xiv) after rule 19E, the following rules shall be inserted, namely,

"19F Paradeep Port Allowance -

Every Class-III or Class-IV employee working in office(s) at Paradeep shall be paid "Paradeep Port Allowance" of Rs.50/- per month with effect from the first day of the month following the date of notification or the date of joining at Paradeep, whichever is later. This allowance shall not rank for any benefits."

[F No 2(14)-Ins-III/97 (11)]
AJIT M SHARAN, Jt Secy

Foot Note : The principal rules were published vide G.S.R.No.357(E) dated 11.4.1985 and subsequently amended vide G.S.R.No.18(E) dated 7.1.1986, G.S.R.No.1076(E) dated 11.9.1986, G.S.R.No.961(E) dated 7.12.1987, G.S.R.No.870(E) and 873(E)

both dated 22.8.1988, G.S.R.No.515(E) dated 12.5.1989, G.S.R.No.509(E) dated 24.5.1990, G.S.R.No.620(E) dated 6.7.1990, G.S.R.No.628(E) dated 10.7.1990, G.S.R.No.338(E) dated 11.7.1991, G.S.R.No.697(E) dated 25.11.1991, G.S.R.No.46(E) and 47(E) both dated 4.2.1993, G.S.R.No.746(E) dated 13.12.1993, G.S.R.No.55(E) dated 2.2.1994, G.S.R.No.595(E) dated 30.6.1995, G.S.R.No.669(E) dated 27.9.1995, G.S.R.No.102(E) dated 22.2.1996, G.S.R.No.261(E) dated 22.5.1998, G.S.R.No.532(E) dated 27.8.1998, G.S.R.No.445(E) dated 18.6.1999 and G.S.R.No.611(E) dated 30.8.1999

Appendix

PRODUCTIVITY LINKED LUMP SUM INCENTIVE SCHEME (PLLI)
(See Rule 13 A)

Conditions for grant of PLLI	1. Grant of PLLI shall depend upon performance of the corporation as a whole in the following areas a) Growth in New Policies b) Growth in First Year Premium Income c) Growth in Total Premium Income 2. PLLI will be calculated on financial year basis and will depend upon the level of performance achieved by the corporation on all the above three parameters. 3. The PLLI will be payable only if the achievements of the corporation are higher than the THRESHOLD LEVELS which are as under: a) Growth in New Policies 11.76% b) Growth in First Year Premium Income 21.17% c) Growth in Total Premium Income 17.52% 4. PLLI shall be payable at the levels of 1%, 2%, 3%, etc. upto a maximum of 6% of the pre-revised wage bill of Class-III and Class-IV employees as on 1/8/1997 depending upon the achievements of growth rates in the above mentioned areas as per the table appended hereto. 5. The Total Premium Income and First Year Premium Income for the purpose shall be the premium income on individual assurance policies plus 10% of premium in respect of Jeevan Suraksha and Jeevan Dhara Policies plus 1.25% of premium in respect of Bima Nivesh and Jeevan Akshay Policies, full premium in respect of individual pension plans and shall exclude P&GS Premium Income. However, a marginal shortfall in any of the three areas noted above may be condoned by the Board. 6. The amount of PLLI in terms of percentage of wage bill will depend upon the growth rates achieved by the Corporation in all the three areas against the percentages mentioned provided, however, the amount of Total Premium Income, First Year

	Premium Income and Number of New Policies is not less than the amount of Total Premium Income, First Year Premium Income and Number of New Policies mentioned in the tables against respective years. 7. The PLLI will be distributed in one lumpsum annually on or after 1st August each year commencing from 1/8/2000 for the financial years 1999-2000, 2000-2001 and 2001-2002.

TOTAL PREMIUM INCOME:

PLLI IN TERMS OF % OF WAGE BILL	GROWTH RATE AS % OF TPI OF PREVIOUS YEAR	MINIMUM AMOUNT OF TPI REQUIRED TO BE ACHIEVED (Rs. in Crores)		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	19.41	24089	28309	33269
2%	20.37	24283	28537	33537
3%	21.33	24476	28765	33804
4%	22.47	24706	29035	34122
5%	23.78	24971	29345	34487
6%	25.44	25305	29739	34949

FIRST YEAR PREMIUM INCOME:

PLLI IN TERMS OF % OF WAGE BILL	GROWTH RATE AS % OF FYPI OF PREVIOUS YEAR	MINIMUM AMOUNT OF FYPI REQUIRED TO BE ACHIEVED (Rs. in Crores)		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	23.45	4925	5967	7219
2%	24.61	4971	6023	7287
3%	25.77	5017	6079	7355
4%	27.15	5072	6146	7435
5%	28.73	5135	6222	7528
6%	30.74	5215	6319	7645

NO. OF NEW POLICIES:

PLLI IN TERMS OF % OF WAGE BILL	GROWTH RATE AS % OF NO. OF NEW POLICIES OF PREVIOUS YEAR	MINIMUM NO. OF NEW POLICIES REQUIRED TO BE ACHIEVED		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1%	13.03	16777616	18750664	20955742
2%	13.67	16873266	18857562	21075212
3%	14.32	16968917	18964461	21194682
4%	15.08	17082501	19091403	21336553
5%	15.96	17213024	19237276	21499579
6%	17.08	17378419	19422122	21706163

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of employees of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the notification. The Life Insurance Corporation of India Class-III and Class-IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000